दंड प्रक्रिया संहिता

		संख्या
	मॉडयूल ए	**3–50**
	अध्याय–1 प्रारम्भिक (PRELIMINARY)	4
	दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं	5–8
	अध्याय 2–दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, (धारा 06 से 25क तक)	9–16
	अध्याय–3–न्यायालयों की शक्ति, (धारा 26 व 27)	17
	अध्याय–4–वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता , (धारा 36 से 40)	18–20
	अध्याय–5–व्यक्तियों की गिरफतारी, (धारा 41 से 60)	21–31
	अध्याय–6–हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं (धारा 61 से 90)	32–38
	अध्याय–7–चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं (धारा 91 से 105)	39–45
	अध्याय–8–परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 110 और 116 से 122)	46–50
	मॉडयूल बी	**51–87**
	अध्याय–10–लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना (धारा–129 से 148)	52–61
	अध्याय–11–पुलिस का निवारक कार्य (धारा–149 से 153)	62–63
	अध्याय–12–पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां (धारा–154 से 176)	64–79
	अध्याय–15–मजिस्ट्रेटों से परिवाद (धारा–202)	80
	अध्याय–22–कारागार में परिरूद्व या निरूद्व व्यक्तियों की हाजिरी (धारा–267)	81
	अध्याय–23–जांचों और विचारणों में साक्ष्य (धारा–273 से 275, 280,284,291,293,294,298,299,306 से 308,311,311ए)	82–87
	मॉडयूल सी	**88–183**
	अध्याय–33–जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध (धारा–436 से 446ए)	89–93
	अध्याय–34–सम्पति का व्ययन (धारा–451 से 459)	94–96
	अध्याय–36–कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा (धारा–467 से 473)	97–98
	अध्याय–37–प्रकीर्ण (धारा–482)	99
	प्रथम अनुसूची	100–183
	मॉडयूल डी	**184–200**
	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013	185–189
	प्रथम अनुसूची (संशोधन)	189–195
	दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक 2018	196–200
	प्रश्नोतरी	201–205

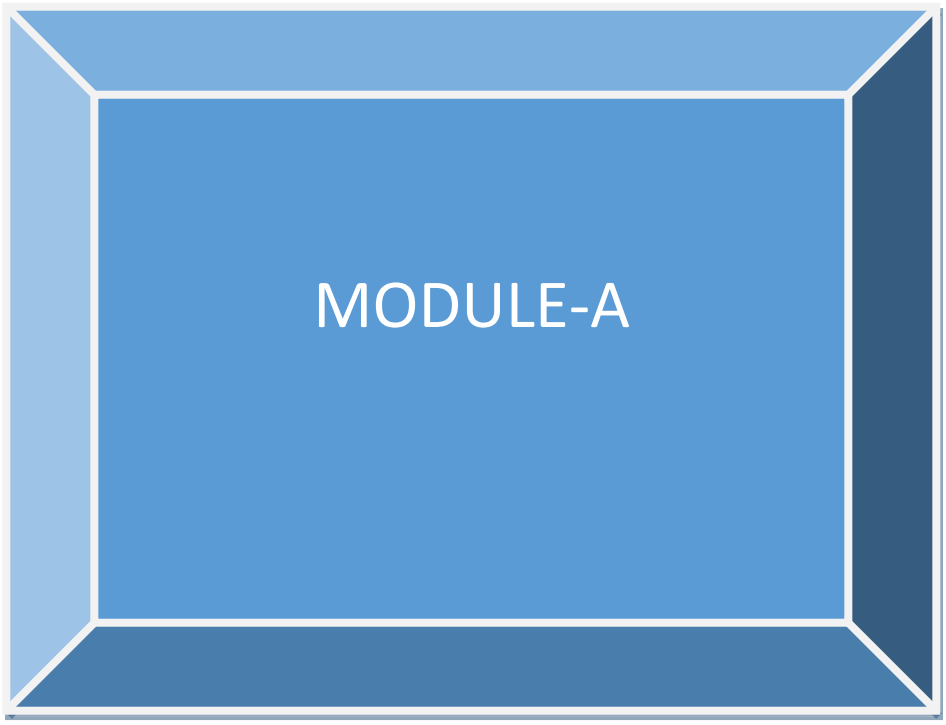
MODULE-A

अध्याय–1
प्रारम्भिक
(PRELIMINARY)

विधि दो प्रकार की होती है :–मौलिक विधि एव प्रक्रिया विधि ।

मौलिक विधि वह विधि है जो अधिकारों एंव कर्तव्यों को परिभाषित करती है अथवा उनकी विवेचना करती है। प्रक्रिया विधि वह विधि है जो मौलिक विधि को प्रवृत करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करती है। दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है।

परिचयः– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान समय मे सम्पूर्ण भारत मे लागू है। वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता को दिनांक 25.01.1974 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सहमति प्राप्त हुई थी, जो दिनांक 01.04.1974 से लागू हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अघ्याय हैं तथा 484 धाराएं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंत में 02 अनुसूचियां दी गई है।

प्रथम अनुसूचीः–इस अनुसूची में यह बताया गया है कि कौनसे अपराध जमानतीय हैं, कौनसे अपराध अजमानतीय हैं तथा कौन–कौन से अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय हैं । इस प्रकार यह भी बताया गया है कि, किस अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय अनुसूचीः– इस अनुसूची में प्रारूप दिये गये हैं जैसे कि सम्मन का प्रारूप, वारंट का प्रारूप, कुर्की वारंट का प्रारूप, तथा अन्य सभी प्रकार की न्यायिक आदेशिकाओं के प्रारूप दिये गये हैं।

प्रस्तावना (PREAMBLE) :– दंड प्रक्रिया संहिता का उददेश्य दंड प्रक्रिया संबंधी विधि को समेकित व संशोधित करना है।

दंड प्रक्रिया संहिता का उददेश्य :– दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण जिन उददेश्यों को लेकर किया गया उनमें प्रमुख निम्नानुसार हैंरू.

1. अभियुक्त के मामले का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. अन्वेषण एवं विचारण मे विलम्ब को टालने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।
3. प्रक्रिया की पेचीदगी को दूर किया जाकर उसे सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि समाज का निर्धन वर्ग भी न्याय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सके।

दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं :–

1. नई संहिता की प्रथम एवं मुख्य विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना रहा है। इस प्रकार मजिस्ट्रेट के कार्यों को न्यायिक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बीच विभाजित कर दिया गया है।
2. अपराधिक मामलों मे आरोप पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय मे 60/90 दिनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं किये जाने पर अभियुक्त को जमानत पर छोड दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
3. विचारण के दौरान कारावास में व्यतीत हुए समय को न्यायालय द्वारा दिये गये कारावास के दंड में से कम कर दिया गया है।
4. किसी भी व्यक्ति को चाहे उसे वांरट के द्वारा या वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाना आवश्यक है।
5. साक्षियों को सम्मन डाक द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। छोटे मामलों मे अभियुक्त को डाक द्वारा अभिवचन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, और ऐसे मामलों, जिनमे न्यायालय में उसका व्यक्तिशः उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, सम्मन में निर्दिष्ट अर्थ दंड की राशि को न्यायलय में भेजने का अधिकार है।
6. ऐसे व्यतियों से जिनकी जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, अच्छे आचरण के लिए प्रतिभूति की मांग करने का प्रावधान हटा दिया गया है एवं नये प्रावधान केवल उन व्यक्तियों तक सीमित कर दिये गये हैं, जो कोई संज्ञेय अपराध कारित करने के लिए अपने आप को छिपाते हुऐ पाये जाते हैं।
7. आदतन अपराधियों से प्रतिभूति की मांग किये जाने के प्रावधान को अब तस्करी, कालाबाजारी आदि समाज विरोधी अपराधों तक विस्तृत कर दिया गया है।
8. प्रतिभूति की कार्यवाहियों के लिए समयावधि का निर्धारण कर दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के लंबित रहते छः माह तक अभिरक्षा में रख दिया जाता है ,तो ऐसी कार्यवाही निरस्त मान ली जाती है।
9. धारा 154 के अर्न्तगत अभिलिखित प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक प्रति उसे सूचित करने वाले व्यक्ति को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी सूचना को अभिलिखित करने से इन्कार करता है, तो पीडित व्यक्ति को ऐसी सूचना डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजने एवं न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिर्पाट दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।
10. जमानत संबंधी नियमों को उदार बनाया गया है यदि कोई व्यक्ति संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में ले जाने की बजाय गिरफ्तार किये जाने वाले स्थान के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, एवं उसे जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया जा सकता है।
11. राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, व्यय दिये जाने की व्यवस्था की गई है।
12. अभियुक्त को कानूनी सहायता देने की योजना को स्वीकार कर लिया गया है।

13. इस संहिता में यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरूद्व दंडादेश पारित करने से पूर्व उस दंड के सबंध मे अभियुक्त की आपत्तियों पर विचार करेगा। यह व्यवस्था नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त पर आधारित है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता में 1978,1980,1983,1988 एवं 1993 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005, 2006 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा संहिता मे व्यापक संशोधन किये गये। इसके पश्चात दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 व दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक 2018 के द्वारा भी दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये।

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

परन्तु इस संहिता के अध्याय 8,10 और 11 से संबंधित उपबन्धों से भिन्न उपबन्ध–

(क) नागालैण्ड राज्य को,

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किन्तु सम्बद्व राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्धों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, सम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामिक उपन्तरों सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरणः– इस धारा मे ''जनजाति क्षेत्र'' से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की षष्ट अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे, और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।

(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत होगा।

2 परिभाषाएं – इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है;

(ख) आरोप के अंतर्गत, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष है;

(ग) संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है;

(घ) परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है।

स्पष्टीकरण – ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा,

(ङ) उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है, –

(प) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय;

(पप) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय;

(पपप) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए दाण्डिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय;

(च) भारत से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है;

(छ) जांच से, अभिप्रेत है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए;

(ज) अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या (मजिस्ट्रेट से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं;

- *मनुभाई रतिलाल पटेल टी उषाबेन बनाम स्टेट ऑफ गुजरातै, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि– अन्वेषण एकमात्र पुलिस की अधिकारिता का विषय है, मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।*

(झ) न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है;

(ञ) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ख्और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,;

(ट) महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है;

(ठ) असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है;

(ड) अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ढ) अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है;

(ण) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है ;

(त) स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तम्बू, यान और जलयान भी है;

(थ) किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से, ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि–व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है, जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है;

(द) पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ध) पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी हैं ;

(न) विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(प) लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है ;

(फ) उपखण्ड से जिले का उपखण्ड अभिप्रेत है ;

(ब) समन–मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारण्ट–मामला नहीं है ;

(बक) पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है ;

(भ) वारण्ट–मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है ;

(म) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं।

अध्याय 2
दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

6. दंड न्यायालयों के वर्ग –उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात् –

(प) सेशन न्यायालय ;

(पप) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट ;

(पपप) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ; और

(पट) कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

7. प्रादेशिक खंड–

(1) प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, उक्त प्रयोजनों के लिए, एक पृथक् सेशन खंड और जिला होगा।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(4) किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे।

8. महानगर क्षेत्र–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि उस तारीख से; जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा।

(2) इस संहिता के प्रारंभ से, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेन्सी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम रह जाए।

(4) जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है वहां ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख को और उससे, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा; किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे

क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो।

(5) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के आधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, जनसंख्या पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

9. सेशन न्यायालय—

(1) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी।

(2) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे।

(5) जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेन्ट आवेदन के, जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी।

(6) सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; किंतु यदि किसी विशेष मामले में, सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह, अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस संहिता के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पद—स्थापना या पदोन्नति नहीं है जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद—स्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है।

10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना—

(1) सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

(2) सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय—समय पर बना सकता है।

(3) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन

न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है ; और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

11. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय–

(1) प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें,

परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(3) उच्च न्यायालय, जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि–

(1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।

(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निर्देश देय होंगी।

(3) (क) उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है।

(ख) प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी, जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और वह उनका प्रयोग करेगा।

13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट–

(1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।,

14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता–

(1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय–समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं, परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है।,

(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा।

(3) जहां धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार, यथास्थिति, उस जिले या महानगर क्षेत्र के, जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।,

15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–

(1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में, समय–समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

16. महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय–

(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा।

17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट–

(1) उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।

(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे, होंगी।

18. विशेष महानगर मजिस्ट्रेट–

(1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे।

(3) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।,

19. महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–

(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।

(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।

(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में, समय–समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा।

20. कार्यपालक मजिस्ट्रेट–

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(3) जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हों।

(4) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा।

(4–क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।,

(5) इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवारित नहीं करेगी।

21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट–

(1) राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है।

22. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता–

(1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, समय–समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं।

(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा।

23. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–

(1) अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में समय–समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

24. लोक अभियोजक–

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

(3) प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त

लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो, उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है।

(5) कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहां राज्य सरकार ऐसा काडर, गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है ;

(ख) अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।,

(7) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो।

(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को, जो कम से कम दस वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को, अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं (चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की गई हों या पश्चात) यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है।,

25. सहायक लोक अभियोजक–

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।

(1क) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।,

(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

(3) जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलभ्य नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है,परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा–

(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या

(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।

25क. अभियोजन निर्देशालय–

(1) राज्य सरकार एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निर्देशक और उतने अभियोजन उप–निर्देशक होंगे, जितने वह ठीक समझे।

(2) कोई व्यक्ति अभियोजन निर्देशक या अभियोजन उप निर्देश क के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिववक्ता के रूप में कम–से–कम दस वर्ष तक व्यवसाय में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी।

(3) अभियोजन निर्देशालय का प्रधान अभियोजन निर्देशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

(4) प्रत्येक अभियोजन उप निर्देशक, अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन, उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होगा।

(6) राज्य सरकार द्वारा, धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो अभियोजन उप निर्देश क के अधीनस्थ होगा।

(7) अभियोजन निर्देशक और अभियोजन उप निर्देशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निर्देशक नियुक्त किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(8) लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में, इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे।

अध्याय–3
(न्यायालयो की शक्ति)

26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं–इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,–

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध का विचारण–

(प) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(पप) सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(पपप) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है,

परंतु भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ, के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला पीठासीन हो,

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब–

(प) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(पप) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है।

27. **किशोरों के मामलों में अधिकारिता** – किसी ऐसे अपराध का विचारण, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, सोलह वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है

अध्याय–4
वरिष्ट पुलिस–अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता

36. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां– पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है, उसमें सर्वत्र, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

37. जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी – प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है,–

(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना ; अथवा

(ख) परिशान्ति भंग का निवारण या दमन ; अथवा

(ग) किसी रेल, नहर, तार या लोक–संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण।

- *जहां कोई व्यक्ति विधितया किसी लोकसेवक की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यदि वह ऐसी सहायता करने में जानबूझ कर उपेक्षा करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकेगा।*

❖ ***(भारतीय दंड संहिता की धारा 187** के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा*

और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा)

39. कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना–

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उचित

प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तिला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा, अर्थात–

(ए) धारा 121 से 126, दोनों सहित, और धारा 130 (अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराध)

(प्प) धारा 143,144,145,147 और 148 (अर्थात, उक्त संहिता के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध)

(प्पं) धारा 161 से 165क, दोनों सहित, (अर्थात, अवैध परितोषण से संबंधित अपराध)

(प्ट) धारा 272 से 278, दोनों सहित, (अर्थात, खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध आदि)

(ट) धारा 302, 303 और 304 (अर्थात् जीवन के लिए संकटकारी अपराध)

(टक)धारा 364क (अर्थात् फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण से संबंधित अपराध)

(टए) धारा 382 (अर्थात, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी का अपराध)

(टप्प) धारा 392 से 399, दोनों सहित, और धारा 402 (अर्थात, लूट और डकैती के अपराध)

(टप्प्प) धारा 409 (अर्थात, लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित अपराध)

(प्र) धारा 431 से 439, दोनों सहित, (अर्थात, संपत्ति के विरुद्ध रिष्टि के अपराध)

(ग) धारा 449 और 450 (अर्थात, गृह अतिचार का अपराध)

(ग्ए) धारा 456 से 460, दोनों सहित, (अर्थात, प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध) , और

(ग्प्प) धारा 489क से 489ङ, दोनों सहित, (अर्थात,करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध)।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता।

- *अन्ना बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों की सूचना देने में उपेक्षा करता है तो यह दंडनीय अपराध माना जायेगा, तथा यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह सअपराधी के रूप में उस अपराध में लिप्त रहा है।*

40. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य–

(1) किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा,–

(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास ;

(ख) किसी व्यक्ति का, जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना–जाना या उसमें से हो कर जाना ;

(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 143, धारा 144, धारा 145, धारा 147 या धारा 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय ;

(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का, या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया

जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानतीय अपराध किया गया है, गायब हो जाना ;

(ङ) ऐसे ग्राम के निकट, भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात्–231 से 238 तक (दोनों सहित), 302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक (दोनों सहित), 489क, 489ख, 489ग और 489घ में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता ;

(च) व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे।

(2) इस धारा में,–

(घ) ग्राम के अंतर्गत ग्राम–भूमियां भी हैं ;

(ङ) उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किया जाता तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात्–302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक (दोनों सहित), में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता ;

(ङङ) ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

अध्याय 5
व्यक्तियों की गिरफ्तारी

41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी–

(1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है ; अथवा

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् –

(प) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तिला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है ;

(प्प) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी –

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए ; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए ; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए ; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए ; या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा

परंतु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(खक) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है ;,

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है ; अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है ; अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है ; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है ; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है ; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है ; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

- ***गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा :–****डायरेक्ट्रेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम दीपक महाजन के मामले में यह कहा गया कि गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा (।ततमेज ।दक ब्नेजवकल) में अन्तर है दोनों पर्यायवाची नहीं है। प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा निहित रहती है जबकि प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी का होना आवश्यक नही है, दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है अभिरक्षा गिरफ्तारी का एक आवश्यक तत्व है।*

41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना–

(1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचानकराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।,

41ख. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य – प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय,–

(क) अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके,

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो–

(५) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है ;

(५५) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ; और

(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए।

41ग. जिले में नियंत्रण कक्ष–

(1) राज्य सरकार–

(क) प्रत्येक जिले में ; और

(ख) राज्य स्तर पर,

पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी, जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं।

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष, समय–समय पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, के बारे में ब्यौरे संगृहीत करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटा बेस रखेगा।

41घ. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार – जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

42. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी–

(1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा,

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा।

43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया–

(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी ; किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा।

44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी–

(1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

45. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण–

(1) धारा 41 से 44 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो।

46. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी–

(1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

परंतु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की

उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा।,

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है।

(4) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।,

47. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है–

(1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अंदर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए, जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले में, जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक् रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है,

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है।

48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना – पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

49. अनावश्यक अवरोध न करना – गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना–

(1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

50क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता–

(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।,

51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी–

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुं दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

52. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति—वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा—व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा—

(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 53 क और धारा 54 में—

(क) परीक्षा में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायीर् से वह चिकित्सा—व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।,

53क. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा—व्यवसायी द्वारा परीक्षा—

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा—व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा—व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् —

(ए) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ;

(प्प) अभियुक्त की आयु ;
(प्प्) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हों ;
(प्ट) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन ; और
(ट) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।
(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।
(4) परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी, बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।,

54. गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा–

(1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी,

परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।,

- *शीला बरसे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में यह कहा गया है कि जब गिरफतार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट से यह शिकायत करता है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान पुलिस द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है एवं उसे यातना दी गई है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह गिरफतार किये गये व्यक्ति को इस बात से अवगत कराये कि वह चाहे तो अपना मेडीकल परीक्षण करवा सकता है।*

54क. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त–जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा,

परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

55. जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया–

(1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

55क. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा–अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।,

56. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना–वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना–कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

58. पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना–पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निर्देश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने–अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

59. पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन–पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

60. निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति–

(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश :–

1. गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को अपने पदनामों के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम टैग धारण करना चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के ब्योरे जो पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी क विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
2. गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा और इस तरह के ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है या उस स्थान जहां से गिरफ्तारी की जाती है का एक सम्मानित व्यक्ति। यह गिरफ्तारी काउंटर हस्ताक्षरित होगी और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख शामिल होगी।
3. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है और उसे पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लाक अप में हिरासत में रखा जाता है, वह अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है जो उसके कल्याण में रुचि रखता है, उसको सूचित किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के समय एक मेमो तैयार करना जरूरी है, जिस पर गिरफ्तारी का समय व दिनांक अंकित किया जाए। इस मेमो पर कम–से–कम ऐसे गवाह का दस्तखत कराया जाए जो या तो उस क्षेत्र का प्रतिष्ठित नागरिक हो या हिरासत में लिए जा रहे व्यक्ति का हितैषी, मित्र अथवा परिजन हो।
4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान सूचित किया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तार किए व्यक्ति का दोस्त या रिश्तेदार जिले में कानूनी सहायता संगठन के माध्यम से जिले या शहर के बाहर रहता है और गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर टेलीग्राफिक की मदद से सूचित किया जाए।
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में सूचित किया जाना है जैसे ही उसे गिरफ्तारी या हिरासत में रखा जाता है।
6. गिरफ्तारी के स्थान पर डायरी में एक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए जो उस व्यक्ति के दोस्त का नाम दर्ज किया जाएगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई और उन पुलिस अधिकारियों के नाम का विवरण भी दर्ज किया जाएगा जिसके संरक्षण में गिरफ़्तारी हुई।
7. गिरफ्तार करने वाले को गिरफ्तारी के समय और प्रमुख और मामूली चोटों की भी जांच की जानी चाहिए, यदि उसके शरीर में ऐसा कुछ चोट पाई जाती है तो उसे उसी समय दर्ज किया जाना

चाहिए। गिरफ्तार करने वाले और पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के लिए प्रदान की गई इसकी प्रति और इसकी कॉपी दोनों को निरीक्षण मेमो पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

8. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा हर 48 घंटे में चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए, निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर एक चिकित्सक द्वारा हिरासत में रखने के दौरान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं सभी तहसीलों और जिलों के लिए भी एक ऐसा पैनल तैयार करें।
9. उपरोक्त उल्लिखित गिरफ्तारी की मेमो की सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां रिकॉर्ड के लिए मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।
10. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं।
11. सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस कंट्रोल रूम उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में सूचना अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर और पुलिस कंट्रोल रूम के एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर इसे लगाना होगा।

अध्याय–6
हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

61. समन का प्रारूप– न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

62. समन की तामील कैसे की जाए–

(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

63. निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील – किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता।

स्पष्टीकरण–इस धारा में निगम से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।

64. **जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील** – जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

स्पष्टीकरण–सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

65. जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया – यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा ; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह

घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

66. सरकारी सेवक पर तामील–

(1) जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।

(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा।

67. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील – जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

68. ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत–

(1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था (धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार से), पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे।

(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है।

69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील–

(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ–साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।

70. गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि–

(1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।
(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।

71. प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति–

(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।
(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी –
(क) प्रतिभुओं की संख्या ;
(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं ;
(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है।
(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा।

72. वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे–

(1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा ; किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।
(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है।

73. वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे–

(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है।
(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा।
(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो, यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा।

74. पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट – किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है।

75. वारंट के सार की सूचना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा।

76. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है,

परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।

77. वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है – गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट–

(1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय, ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा।

79. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट–

(1) जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है।

80. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया – जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।

81. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए–

(1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा,

परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था,

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा–

(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी–

(घ)(क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी ;

(ख) वह उस गृह या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी ;

(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी ;

(प्प) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (प) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459, या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।,

83. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की–

(1) धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, अथवा दोनों प्रकार की, किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है,

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है–

(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है,तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए।

(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की –

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में,–

(क) कब्जा लेकर की जाएगी; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(6) उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं।

87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना – न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है–

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा; अथवा

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है।

89. हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी – जब कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए।

90. इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना – समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को, यथाशक्य लागू होंगे।

अध्याय 7
(चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं)

91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन–

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात –

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

92. पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया–

(1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे, कर दिया जाए।

(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे।

93. तलाशी–वारंट कब जारी किया जा सकता है–

(1)(क) जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की

जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे अथवा

(ख) जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा

(ग) जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी,वहां वह तलाशी–वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तालशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है।

(2) यदि, न्यायालय ठीक समझता है, तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है।

(3) इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

- *क्या यह व्यवस्था सवैंधानिक है – कई मामलों मे धारा 94 की संवैधानिकता को चुनौति दी गई लेकिन न्यायालयों ने इन सभी चुनौतियों को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि इस धारा के उपबंध संविधान के अनुछेद 19(1)(च), 20(3) एवं अनुछेद 31 के अनुरूप है । इनसे मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है । इनसे अधिकारों में केवल अस्थाई हस्तक्षेप होता है और वह भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए । (एम.पी.शर्मा बनाम सतीशचन्द्र, एम. फर्नाडीस बनाम श्रीमोहन नायर एवं मुहम्मद हुसैन बनाम प्रोविडेंट फंड इन्सपेक्टर)*

94. उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है–

(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के, जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह–

(क) उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ, जैसी आवश्यक हो, प्रवेश करे

(ख) वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले

(ग) वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु, जिसको यह धारा लागू होती है, होने का उसे उचित संदेह है, कब्जे में ले

(घ) ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे

(ङ) ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए, जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि, यथास्थिति, वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है, जिसको यह धारा लागू होती है।

(2) वे आपत्तिजनक वस्तुएं, जिनको यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं –

(क) कूटकृत सिक्का

(ख) धातु टोकन अधिनियम, 1889 (1889 का 1) के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु–खंड

(ग) कूटकृत करेंसी नोट कूटकृत स्टाम्प

(घ) कूटरचित दस्तावेज

(ङ) नकली मुद्राएं

(च) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं

(छ) खंड (क) से (च) तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री।

95. कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी–वारंट जारी करने की शक्ति–

(1) जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि–

(क) किसी समाचारपत्र या पुस्तक में अथवा

(ख) किसी दस्तावेज में,

चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिए जाने की घोषणा, अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर सकती है और तब भारत में, जहां भी वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहीत कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट, उप–निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को, किसी ऐसे परिसर में, जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।

(2) इस धारा में और धारा 96 में–

(क) समाचारपत्र और पुस्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में हैं,

(ख) दस्तावेज के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र या अन्य दृश्यरूपण भी हैं।

(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

96. समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन–

(1) किसी ऐसे समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में धारा 95 के अधीन समपहरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचारपत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है।

(2) जहां उच्च न्यायालय में तीन या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा और जहां

उच्च न्यायालय में तीन से कम न्यायाधीश हैं वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे।

(3) किसी समाचारपत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, उस समाचारपत्र में, जिसकी बाबत समपहरण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिह्नों या दृश्यरूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचारपत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है।

(4) यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचारपत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, तो वह समपहरण की घोषणा को अपास्त कर देगा।(5) जहां उन न्यायाधीशों में, जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है, मतभेद है वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा।

97. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी–यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी–वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति, जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

98. अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति–किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता–पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।

99. तलाशी–वारंटों का निर्देश न आदि–धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के उपबंध, जहां तक हो सके, उन सब तलाशी–वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93, धारा 94, धारा 95 या धारा 97 के अधीन जारी किए जाते हैं।

100. बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे–

(1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

❖ *(भारतीय दंड संहिता की धारा 187 इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या ..... पर वर्णित है।)*

101. अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन – जब तलाशी–वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुंरत ले जाई जाएंगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।

102. कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति–

(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को, अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से

न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है, जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता हैट वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा ,

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और धारा 457 और धारा 458 के उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे।

103. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है—कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है।

104. पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति—यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है।

105. आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था—

(1) जहां उन राज्यक्षेत्रों का कोई न्यायालय, जिन पर इस संहिता का विस्तार है (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त राज्यक्षेत्र कहा गया है) यह चाहता है कि—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की ; अथवा

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ; अथवा

(ग) किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे, अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे ; अथवा,

(घ) किसी तलाशी—वारंट की,

जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो—

(च) उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए, दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है और जहां खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है वहां धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे, मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्यक्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है,

(छ) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा, दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् संविदाकारी राज्य कहा गया है) साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को, दो प्रतियों में, ऐसे प्ररूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।,

(2) जहां उक्त राज्यक्षेत्रों के न्यायालय को–

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन ; अथवा

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट ; अथवा

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे ; अथवा

(घ) कोई तलाशी–वारंट,

जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है –

(1) उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय,

(2) किसी संविदाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट,तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा समन या वारंट है जो उसे उक्त राज्यक्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है और जहां–

(च) गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 80 और 81 द्वारा विहित क्रिया के अनुसार की जाएगी,

(छ) तलाशी–वारंट निष्पादित कर दिया जाता है वहां तलाशी में पाई गई चीजों के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 101 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी

परंतु उस मामले में, जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय की, ऐसे प्राधिकारी की मार्फत अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय–8
(परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति)

106. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति–

(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153क या धारा 153ख या धारा 154 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है ;

(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है ;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध ;

(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र, जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

107. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति–

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे ख्प्रतिभुओं सहित या रहितट बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

108. राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति–

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर–

(प) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात् –

(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 295क के अधीन दंडनीय है ; अथवा

(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है ; अथवा

(प्प) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है,

और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

109. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति–जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

110. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति–जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो–

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है ; अथवा

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है ; अथवा

(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्यसन में सहायता देता है ; अथवा

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा

489घ के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है; अथवा

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है; अथवा

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो –

(ए) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात् –

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46);,

(ग) कर्मचारी भविष्य–निधि और कुटुंब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19);

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37);

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);

(च) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(छ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52),।।।

(ज) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31); या

(ऐ) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है; या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिएपरिसंकटमय है,तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

116. इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच–

(1) जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है अथवा, जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन–मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात् विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात् और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है

परंतु–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा ;

(ख) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हों या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हों, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है।

(5) जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक् जांचों में, जैसा वह न्यायसंगत समझे, उनके बारे में कार्यवाही कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से छह मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर, पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है

परंतु जहां कोई व्यक्ति, ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही, यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के छह मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी।

(7) जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन निर्देश किया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था।

122. प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास–

(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र, निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद–उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद–उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात, आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश

देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे, परंतु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

(4) यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, मामला शामिल किया जाएगा और उपधारा (2) और (3) के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक न होगी, जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था।

(5) सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(6) यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने आदेश किया, तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

(7) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा।

(8) सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहां कार्यवाही धारा 108 के अधीन की गई है, वहां सादा होगा और, जहां कार्यवाही धारा 109 या धारा 110 के अधीन की गई है वहां, जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे, कठिन या सादा होगा।

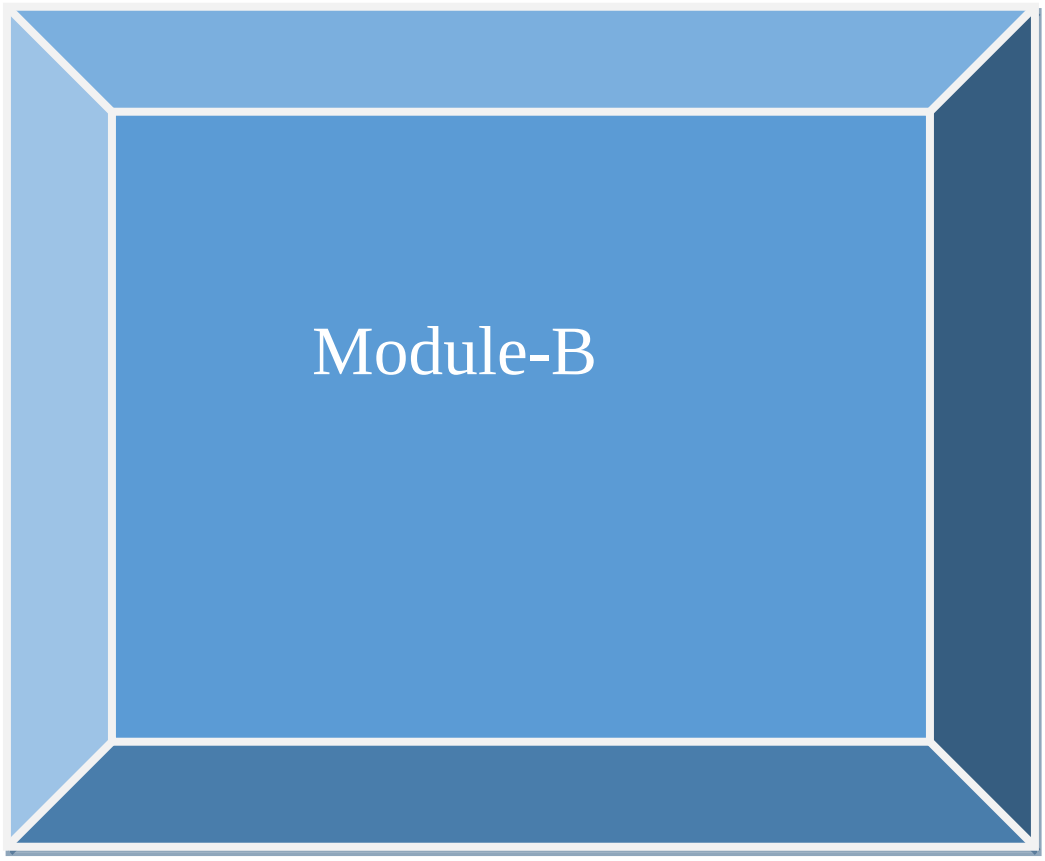

Module-B

अध्याय 10
(लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना)

129. **सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना**–

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है, तितर–बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जाएं।

(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर–बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर–बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर–बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।

130. जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग–

(1) यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर–बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर–बितर किया जाए तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर–बितर करा सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर–बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर–बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को

केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर–बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है।

131. जमाव को तितर–बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति–जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर–बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे जमाव को तितर–बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा।

132. पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण–

(1) किसी कार्य के लिए, जो धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किया गया तात्पर्यित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में–

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में ;

(ख) धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ;

(ग) धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में ;

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में,यह न समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है।

(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में–

(क) सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं ;

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारीष से सशस्त्र बल के आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर, पेटी आफिसर, अनायुक्त आफिसर तथा अराजपत्रित आफिसर भी हैं ;

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है।

133. न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश–

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए ; अथवा

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए ; अथवा

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए ; अथवा

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है ;

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके ; अथवा

(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह–

(छ) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे ; अथवा

(ज) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निर्दिष्ट की जाए अथवा ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए ; अथवा

(झ) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे ; अथवा

(ट) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए ; अथवा

(ठ) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए ; अथवा

(ड) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है,

अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद–प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

- *एल.के.कूलवास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण लोकहित का विषय है इनका रखरखाव नगरपालिका*

का कर्तव्य है, यदि नगरपालिका अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नही करती है तो उसके विरूद्व लोकहितवाद (च्नइसपब प्दजमतेज स्पजपहंजपवद.च्प्स्) लाया जा सकता है।

134. आदेश की तामील या अधिसूचना–

(1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है।

(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।

135. जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे – वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है–

(क) उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा

(ख) उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा।

136. उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम – यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा।

137. जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया–

(1) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है ; और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करता है या ऐसा इंकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इंकार नहीं करने दिया जाएगा।

138. जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया –

(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले मे लिया जाता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

139. स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति – मजिस्ट्रेट धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, अथवा

(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

140. मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति –

(1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है वहां मजिस्ट्रेट–

(क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों,

(ख) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय, या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहां मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे।

141. आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम –

(1) जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे, जितना सूचना में नियत किया जाएगा और उसे इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा।

(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है।

(3) इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा।

142. जांच के लंबित रहने तक व्यादेश –

(1) यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिएं तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है।

(2) यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा।

143. मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है – कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथापरिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे।

144. न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति –

(1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्त्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य–विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है, या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा,

परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा ; किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद–पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परंतुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी ; और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

145. जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया –

(1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो ; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था,

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किंतु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा ; और जब वह उपधारा (4) के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।

(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

- *अत्तूर रहमान चौधरी बनाम मुस. शफीजान बीबी के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अर्न्तगत की कार्यवाही कब्जे के संबंध में संक्षिप्त कार्यवाही है इसका सम्पति के अधिकारी, हित एवं स्वत्व की घोषणा तथा कब्जे के अनुतोष के वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है, और न ऐसे वाद की रूकावट है।*

146. विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति–

(1) यदि धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है,

परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है

अथवा यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं,

परंतु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट–

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा,

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हैं।

147. भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद–

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा, विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

स्पष्टीकरण–भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो धारा 145 की उपधारा (2) में दिया गया है।

(2) मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जो वह आवश्यक समझे और, यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है ; और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है,

परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला की, जिसके परिणामस्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले तीन मास के अंदर नहीं किया गया है अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में ही या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(4) जब धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो ;

और जब उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 145 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो।

148. स्थानीय जांच–

(1) जब कभी धारा 145 या धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।

(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में ; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

अध्याय 11
(पुलिस का निवारक कार्य)

149. पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना – प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से अन्तःक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा।

150. संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला – प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

151. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी –

(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।

152. लोक संपत्ति की हानि का निवारण – किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि–चिह्न या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अंतःक्षेप कर सकता है।

153. बाटों और मापों का निरीक्षण–

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा।

अध्याय 12
(पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां)

154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला–

(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा,

परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी,

परन्तु यह और कि–

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास–स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

- स्टेट ऑफ उतरप्रदेश बनाम मुनेष के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि प्रथम सूचना रिर्पोट घटना की सूचना मात्र है इसमें घटना का समस्त विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- आरपी कपूर बनाम सरदार प्रताप सिंह कैरों के मामले में यह भी विनिर्धारित किया गया कि, ऐसी सूचना केवल किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ही दी जानी चाहिए।
- रमेश कुमारी बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकट किया गया है कि धारा 154 के उपबंध आज्ञापक ;डंदकंजवतलद्ध है। जब भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली प्रथम सूचना रिर्पोट प्रस्तुत की जाती है तो वह उसे दर्ज करने के किलए आबद्व है।
- टेलीफोन द्वारा प्रथम सूचनाः– सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश के मामले में यह कहा गया कि किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना टेलीफोन द्वारा भी दी जा सकती है। ऐसी सूचना मिलने पर उसे लेखबद्व कर अन्वेषण प्रारम्भ किया जाना विधि सम्मत है।
- मुरूगन बनाम स्टेट के मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, जहां आहत व्यक्ति को गंभीर चोटें लगी हों और वह अचेतन अवस्था मे रहा हो, वहां पुलिस द्वारा किसी प्रत्यक्षदर्शी से शिकायत लिखवाया जाना उचित है।
- स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश बनाम पी.रामुलू के मामले में यह कहा गया कि, पुलिस अधिकारी को मात्र इस आधार पर रिर्पोट लेखबद्व करने से इंकार नही कर देना चाहिए कि अपराध उसकी स्थानीय अधिकारिता मे कारित नहीं हुआ है ऐसे मामलों मे उसका यह कर्तव्य है कि वह रिर्पोट को लेखबद्व कर उसे संबंधित थाने में प्रेषित कर दे।
- नवरत्न महतो और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि, प्रथम सूचना रिर्पोट में घटना का सम्पूर्ण वृतान्त अंकित किया जाना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसमें घटना का सम्पूर्ण वृतान्त अंकित है।
- गुरनाम कौर बनाम बक्शीश सिंह और अन्य के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कोई प्रथम सूचना रिर्पोट किसी अशिक्षित, साधारण ग्रामीण द्वारा दर्ज करायी गई हो वहां उसे मात्र इस आधार पर अकृत (छन्स्स) नहीं समझा जा सकता कि उसमें घटना सें संबंधित कतिपय तथ्यों, जैसे कपडो का खून से भर जाना, आदी का उल्लेख नहीं किया गया है।
- किशनचंद मंगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिर्पोट मे निरपेक्ष यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्म का नाम लिखा ही जाये। यदि अभियुक्त कोई राजकीय कर्मचारी है तो उसके पदनाम ;क्मेपहदंजपवद व विपिबमद्ध का उल्लेख भी पर्याप्त है।
- **प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने में विलम्ब :–** प्रर्थीचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश एवं कन्हैयालाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यथासंभव प्रथम सूचना रिर्पोट अविलम्ब दर्ज करानी चाहिए, लेकिन यदि उसमें कुछ युक्तियुक्त विलम्ब हो जाता है तो वह क्षम्य है।
- **प्रथम सूचना रिर्पोट का मृत्युकालीन घोषणा के कथन माना जाना** :– जहां स्वयं मृतक द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गई हो, रिर्पोट उसे पढकर सुनायी गई हो तथा उस पर उसके द्वारा अंगुठा निशानी लगाई गई हो वहां ऐसी रिर्पोट को मृत्युकालीन घोषणा के रूप मे गृाहय किया जा सकता है।

155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण –

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तिला का सार, ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर (वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय) अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है।

(4) जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा।

156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति –

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया –

(1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे,

परंतु–

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे ;

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके

माता–पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा।

158. रिपोर्टें कैसे दी जाएंगी –

(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

159. अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति – ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति –

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा,

परंतु किसी पुरुष से जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास–स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है।

161. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा –

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे

राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक् और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है,

परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा,

परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509, के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अधिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

162. पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना ; कथनों का साक्ष्य में उपयोग –

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा,

परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनःपरीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है।

स्पष्टीकरण–उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।

163. कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना –

(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा।

(2) किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा,

परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी।

164. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना –

(1) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है,

परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिववक्ता की उपस्थिति में श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा,

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है ; और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा –

मैंने–(नाम)–––को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है।

(हस्ताक्षर) क0 ख0
मजिस्ट्रेट।

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की

राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो ; तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(5क) (क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा,

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानिसक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा,

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 137 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

164क. बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा –

(1) जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को, ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी, जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात् –

(प) स्त्री का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ;

(पप) स्त्री की आयु ;

(पपप) डी. एन. ए. प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन ;

(पट) स्त्री के शरीर पर क्षति के, यदि कोई हैं, चिह्न ;

(ट) स्त्री की साधारण मानसिक दशा ; और

(टप) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी, बिना विलंब के, रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग–रूप में भेजेगा।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए परीक्षाष और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायीष के वही अर्थ हैं, जो उनके धारा 53 में हैं।,

165. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी –

(1) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है तो, तलाशी स्वयं लेगा।

(3) यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है, उस समय उपस्थित नहीं है तो वह, ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा।

(4) तलाशी–वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन पर, उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी।

166. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी–वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है–

(1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी लिवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी लिवा सकता है।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा (1) के अधीन तलाशी लिवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 165 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लिवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अंदर हो।

(4) कोई अधिकारी, जो उपधारा (3) के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची की (यदि कोई हो) प्रतिलिपि भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा (1) और (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा।

(5) जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, आवेदन करने पर उस अभिलेख की, जो मजिस्ट्रेट को उपधारा (4) के अधीन भेजा जाए, प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी।

166क. भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध–पत्र –

(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलभ्य हो सकता है तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध–पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो ऐसे अनुरोध–पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है और इस प्रकार लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि या इस प्रकार संगृहीत चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे।

(2) अनुरोध–पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

166ख. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध–पत्र –

(1) भारत के बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है, अनुरोध–पत्र की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार यदि वह उचित समझे तो, –

(i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, अग्रेषित कर सकेगी जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा ; या

(ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उसी रीति में अपराध का अन्वेषण करेगा,मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां या इस प्रकार संगृहीत चीज, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को, जिसने अनुरोध–पत्र भेजा था, पारेषित करने के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे, अग्रेषित करेगा।

167. जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया –

(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पंद्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय–समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है,

परंतु–

(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध,–

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ;

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है,और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा

गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है ;,

(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा ;,

(ग) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा।

स्पष्टीकरण –1–शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त–व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है।,

स्पष्टीकरण 2–यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जैसाकि पैरा (ख) के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है ,

(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त–व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर सात दिन से अधिक नहीं हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि, जिसके दौरान अभियुक्त–व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा (2) के परंतुक के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी,

परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो, यथास्थिति, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।,

परंतु यह और कि अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा।,

(3) इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण, अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए।

168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट –जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।

169. जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना –यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभुओं के सहित या रहित, जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की जाए तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।

170. जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना –

(1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा अथवा यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक, दिन–प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा।

(2) जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो, भेजेगा और यदि कोई परिवादी हो, तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से, जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और (यथास्थिति) अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई है।

(4) वह अधिकारी, जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना –किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी, और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी

परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से, या धारा 170 में निर्दिष्ट प्रकार का बंधपत्र निष्पादित करने से, इंकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता है या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती है।

172. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी –

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन–प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।

(1क) धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(1ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डायरी जिल्द रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक् रूप से संख्यांकित होंगे।,

(2) कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है।

(3) न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसने उन्हें लिखा है, अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की, यथास्थिति, धारा 161 या धारा 145 के उपबंध लागू होंगे।

173. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट–

(1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस

थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।,

(2) (i) जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी –

(क) पक्षकारों के नाम ;

(ख) इत्तिला का स्वरूप ;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम ;

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा ;

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(च) क्या वह अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंधपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित ;

(छ) क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ;

ज) जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376क, धारा 376ख, ख्धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ, के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।,

(ii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगा –

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है ;

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(7) जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है।

(8) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां

ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।

174. आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना –

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव–जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिह्नों का जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी।

(3) जब–

(प) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है ; या

(पप) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है ; या

(पपप) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है ; या

(प्ट) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है ; या

(ट) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है,तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु–समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति –

(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा।

176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच –

(1) जब मामला धारा 174 की उपधारा (3) के खंड (प) या खंड (पप) में निर्दिष्ट प्रकृति का हैट तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु–समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा; और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होतीं।

(1क) जहां,–

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ख) किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,तो उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त, यथास्थिति, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।,

(2) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(3) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है।

(4) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

(5) उपधारा (1क) के अधीन, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सक को, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भेजेगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो।,

स्पष्टीकरण–इस धारा में नातेदार पद से माता–पिता, संतान, भाई, बहिन और पति या पत्नी अभिप्रेत हैं।

अध्याय–15
(मजिस्ट्रेटों से परिवाद)

202. आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना –

(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो ख और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता हैट अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है,

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया जाएगा–

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ; अथवा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हों) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट, ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है,

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

अध्याय–22
(कारागारों में परिरूद्ध या निरूद्ध व्यक्तियों की हाजिरी)

267. बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति –

(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि–

(क) कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, अथवा

(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए,

तब वह न्यायालय, कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, वहां वह कारागार के भारसाधक अधिकारी को तब तक भेजा नहीं जाएगा या उसके द्वारा उस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वह ऐसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न हो, जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट है।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए पेश किए गए प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का, जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है, एक विवरण होगा और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष वह पेश किया गया है उस विवरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इंकार कर सकता है।

अध्याय–23
(जांचो और विचारणों में साक्ष्य)

273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना – अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा,

परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा।,

स्पष्टीकरण – इस धारा में अभियुक्त के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है।

274. समन–मामलों और जांचों में अभिलेख –

(1) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब समन–मामलों में, धारा 145 से धारा 148 तक की धाराओं के अधीन (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) सब जांचों में, और विचारण के अनुक्रम की कार्यवाहियों से भिन्न धारा 446 के अधीन सब कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट जैसे–जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे–वैसे उसके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा,

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो वह अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे ज्ञापन को खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार कराएगा।

(2) ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

275. वारण्ट–मामलों में अभिलेख –

(1) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट–मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे–जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे–वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देश न और अधीक्षण में लिखा जाएगा ,

परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

(2) जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहां वह यह प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा जा सका।

(3) ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में अभिलिखित किया जाएगा किन्तु मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकता है।
(4) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

280. साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां –जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है तब वह उस साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा (यदि कोई हों), जो वह तात्त्विक समझता है।

284. कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा –
(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में, न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है,

परन्तु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा।

(2) न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के उचित समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए।

291. चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य –
(1) अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया, सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है।
(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को समन कर सकता है और उसके अभिसाक्ष्य की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर वैसा करेगा।

293. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें –
(1) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी।
(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा।
(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं हाजिर होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे स्वयं हाजिर होने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, वह अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय

में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है अर्थात्–

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक ;

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रकट ;

(ग) अंगुली–छाप कार्यालय निर्देशक ;

(घ) निर्देशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई ;

(ङ)किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान–प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान–प्रयोगशाला का निर्देशक उप–निर्देशक या सहायक निर्देशक, ;

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी ;

(छ) कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।,

294. कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना –

(1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल की गई है वहां ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और, यथास्थिति, अभियोजन या अभियुक्त अथवा अभियोजन या अभियुक्त के प्लीडर से, यदि कोई हों, ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इंकार करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहां ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी,

परन्तु न्यायालय, स्वविवेकानुसार, यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाएं।

298. पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए –पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति को, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में, किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उपबंधित है,–

(क) ऐसे उद्धरण द्वारा, जिसका उस न्यायालय के, जिसमें ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति हुई, अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना है; अथवा

(ख) दोषसिद्धि की दशा में, या तो ऐसे प्रमाणपत्र द्वारा, जो उस जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड या उसका कोई भाग भोगा गया या सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करके, जिनके अधीन दंड भोगा गया था,

और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति वही व्यक्ति है जो ऐसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया, साबित किया जा सकेगा।

299. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख –

(1) यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किए जाने की कोई सम्भावना नहीं है तो उस अपराध के लिए, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का खविचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षमट न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षियों की (यदि कोई हों), उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा

कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है।

(2) यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों, परीक्षा करे और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात् अभियोग लगाया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है।

306. सह–अपराधी को क्षमा–दान –

(1) किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा–दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे।

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है –

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध ;

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान करता है,–

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ;

(ख)यह अभिलिखित करेगा कि क्षमा–दान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं,और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान स्वीकार करने वाले–

(क) प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चात्वर्ती विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन किया गया क्षमा–दान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना, –

(क) मामले को–

(प) यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ;

(प्प) यदि अपराध अनन्यतः दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा।

307. क्षमा–दान का निर्देश देने की शक्ति –मामले की सुपुर्दगी के पश्चात् किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सम्बद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा–दान कर सकता है।

308. क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण –

(1) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमा–दान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा कर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमा–दान किया गया था वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसे क्षमा–दान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और मिथ्या साक्ष्य के भी अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकता है,

परन्तु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्ततः नहीं किया जाएगा

परन्तु यह और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और धारा 195 या धारा 340 की कोई बात उस अपराध को लागू न होगी।

(2) क्षमा–दान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 164 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 306 की उपधारा (4) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है।

(3) ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे क्षमा–दान दिया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

(4) ऐसे विचारण के समय न्यायालय–

(क) यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पूर्व ;

(ख) यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्षियों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व, अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमा–दान दिया गया था।

(5) यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाक् को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं ; और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, दोषमुक्ति का निर्णय देगा।

311. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति –कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में

किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है ; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

311क. नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति –यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा,

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो।,

MODULE- C

अध्याय–33
(जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबन्ध)

436–किन मामलों में जमानत ली जाएगी –

(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है की यदि ऐस व्यक्ति निर्धन हो और प्रतिभू भरने में असर्मथ हो तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इनमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :– जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के दिन से एक सप्ताह तक जमानत देने में असर्मथ हो तो अधिकारी या न्यायालय के लिए यह मान लेने के लिए प्रर्याप्त आधार होगा की इस प्रतिबंध के उददेश्यों के लिए वह व्यक्ति निर्धन है।

परन्तु यह और की इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा (3) या धारा 446क के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानतपत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चात्वर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकता है और ऐसी किसी इंकारी का, ऐसे जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

437:– अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली सकेगी –

(1) जब कोई व्यक्ति, जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है या जिस पर यह सन्देह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किन्तु–

(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा;

(i i) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, या ख्तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए किन्तु सात वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी संज्ञेय अपराध, के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा।

परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (i) या खण्ड (i i) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है

परन्तु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकेगा कि खण्ड (i i) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है।

परन्तु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचान जाने के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इंकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी, यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिये जाने के लिए हकदार है और वह वचन देता है कि वह ऐसे निदेशों का, जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा।

परन्तु यह और भी कि किसी भी व्यक्ति को, यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को, यथास्थिति, अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है ख्तो अभियुक्त धारा 446– क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लम्बित रहने तक, जमानत पर, या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बन्धपत्र निष्पादित करने पर, छोड़ दिया जाएगा।

(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की या उससे अधिक की है, दण्डनीय कोई अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा (1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है ख्तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा–

(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा;

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा; और

(ग) कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें, जिसे वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों या विशेष कारणों, को लेखबद्ध करेगा।

(5) यदि कोई न्यायालय, जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर छोड़ा है, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त हैं, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के अन्दर पूरा नहीं हो जाता है तो, यदि ऐसा व्यक्ति उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो, जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न दे वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

(7) यदि अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात् और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को, निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बन्धपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा।

438 :–गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश –

(1) जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को ऐसा निर्देश जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की दशा में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए और न्यायालय अन्य सभी बातों के साथ–साथ निम्न बातों को ध्यान में रखकर,–

(पे) आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता

(प्प) प्रार्थी का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि कभी पूर्व में किसी संज्ञेय अपराध के विषय में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया होने पर कारावास का दंड, भोगा है या नहीं;

(प्प्ं) प्रार्थी के भाग जाने की संभावना; और

(प्ट) प्रार्थी को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या परेशान करने के उद्देश्य से तो आरोप नहीं लगाया गया, या तो प्रार्थना पत्र को तत्काल निरस्त कर सकता है या अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु एक अंतरिम आदेश पारित कर सकता हैः

परंतु जहां उच्च न्यायालय, या जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उपधारा के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना रद्द कर दी है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र में आशंकित आरोप के आधार पर प्रार्थी को बिना वारंट गिरफ्तार कर ले।

(1क) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अंतरिम आदेश देती है, तो वह तत्काल एक सूचना कार्यान्वित करेगी, जो सात दिनों से कम के लिए नहीं होगी, जो ऐसे आदेश की एक प्रति के साथ ही लोक अभियोजक तथा पुलिस अधीक्षक को भी देय होगी, ताकि न्यायालय द्वारा प्रार्थना की सुनवाई के समय लोक अभियोजक को भी सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाए।

(1ख) प्रार्थना की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होते समय अग्रिम जमानत की चाह ना रखने वाले प्रार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, यदि लोक

अभियोजक द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया हो और यदि न्यायालय न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक समझे।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं

(प) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;

(पप) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;

(पपं) यह शर्त की वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(पट) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

439 :—जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ —

(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि——

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए

परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास के दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

440 :—बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना —

(1) इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बन्धपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रख कर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए।

446क :– बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण – धारा 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका समपहरण हो जाता है, वहाँ–

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र भी, यदि कोई हों, रद्द हो जाएंगे; और

(ख) तत्पश्चात् ऐसा कोई व्यक्ति, उस मामले में केवल अपने ही बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय का, जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया था, यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था।

परन्तु इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक से प्रतिभुओं से बंधपत्र निष्पादित करा दे, जो यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे ।

अध्याय–34
(संपत्ति का व्ययन)

451:–कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश –

जब कोई सम्पत्ति, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय, ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए "सम्पत्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(क) किसी भी किस्म की सम्पत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा में है,

(ख) कोई भी सम्पत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है।

452 :–विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश –

(1) जब किसी दण्ड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष पेश की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिहृत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिदान के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह वचनबंध करते हुए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया तो वह उस संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निदेश दे सकता है, जो तब उस संपत्ति के विषय में धारा 457,458 और 459 में उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा।

(4) उस दशा के सिवाय, जब संपत्ति पशुधन है या शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उपधारा (2) के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश दो मास तक अथवा जहाँ अपील उपस्थित की गई है वहाँ जब तक उस अपील का निपटारा न हो जाए, कार्यान्वित न किया जाएगा।

(5) उस संपत्ति की दशा में, जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, इस धारा में "संपत्ति" पद के अन्तर्गत न केवल ऐसी संपत्ति है जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन् ऐसी कोई संपत्ति जिसमें या जिसके लिए उस संपत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है और ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय से, चाहे अव्यवहित रूप से चाहे अन्यथा, अर्जित कोई चीज भी है।

453 :– अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय –जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करना है अथवा जो चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई सम्पत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस सम्पत्ति के वापस कर दिया जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिये गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में उसे परिदत्त की जाए।

454– धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील –

(1) धारा 452 या धारा 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें मामूली तौर पर पूर्वकथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।

(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि अपील का निपटारा होने तक आदेश रोक दिया जाए या वह ऐसे आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और कोई अतिरिक्त आदेश, जो न्यायसंगत हो, कर सकता है।

(3) किसी ऐसे मामले को, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है, निपटाते समय अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

455–अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना –

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 292, धारा 293, धारा 501 या धारा 502 के अधीन दोषसिद्धि पर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, या सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है।

(2) न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 272, धारा 273, धारा 274 या धारा 275 के अधीन दोषसिद्धि पर उस खाद्य, पेय औषधि या भेषजीय निर्मित के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है, नष्ट किए जाने का उसी प्रकार से आदेश दे सकता है।

456–स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति –

(1) जब आपराधिक बल या बल–प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास से युक्त किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल या बल–प्रदर्शन या अभित्रास से कोई व्यक्ति किसी स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किया गया है तब, यदि न्यायालय ठीक समझे तो, आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस सम्पत्ति पर कब्जा है यदि आवश्यक हो तो, बल द्वारा बेदखल करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाए,

परन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोषसिद्धि की तारीख से एक मास के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

(2) जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया। है, वहां अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय, यदि ठीक समझे तो, यथास्थिति, अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय ऐसा आदेश दे सकता है।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, वहां धारा 454 के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 453 के अधीन दिये गए किसी आदेश के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा जिसे कोई व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल हो जाता है।

457—सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया—

(1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबन्धों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी सम्पत्ति दण्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के व्ययन के, या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का परिदान किए जाने के बारे में या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिदत्त किये जाने का आदेश दे सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि वह उसके समक्ष हाजिर हो ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के अन्दर अपने दावे को सिद्ध करे।

458—जहां छः मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया —

(1) यदि ऐसी अवधि के अन्दर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जा सकेगी जो विहित की जाए।

(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।

459—विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति —यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा यदि उस मजिस्ट्रेट की, जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निदेश दे सकता है और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 457 और 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होगे।

अध्याय–36
(कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा)

467– परिभाषा –

(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, ''परिसीमा–काल'' से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।

468–परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन –

(1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

(2) परिसीमा–काल,–

(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है;

(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है;

(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के सम्बन्ध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा–काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है।

469–परिसीमा–काल का प्रारम्भ –

(1) किसी अपराधी के सम्बन्ध में परिसीमा काल–

(क) अपराध की तारीख को प्रारम्भ होगा; या

(ख) जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है, इनमें से जो भी पहले हो; या

(ग) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी पहले हो।

(2) उक्त अवधि की संगणना करने में, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि को संगणना की जानी है।

470–कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन –

(1) परिसीमा–काल की संगणना करने में, उस समय का अपवर्जन किया जाएगा, जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक् तत्परता में चला रहा है

परन्तु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से सम्बन्धित न हो और ऐसे न्यायालय में सद्भावपूर्वक न किया गया हो जो अधिकारिता में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो ।

(2) जहां किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है वहां परिसीमा–काल की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को, उस दिन को, जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था और उस दिन को, जिस दिन उसे वापस लिया गया था, अपवर्जित किया जाएगा।

(3) जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, या जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है वहां परिसीमा–काल की संगणना करने में, ऐसी सूचना की अवधि, या, यथास्थिति, ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की संगणना करने में उस तारीख का जिसको अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था और उस तारीख का जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों का, अपवर्जन किया जाएगा।

(4) परिसीमा–काल की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी,–

(क) भारत से या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र से, जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन हैं, अनुपस्थित रहा है, या

(ख) फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है।

471–जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो उस तारीख का अपवर्जन – यदि परिसीमा–काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बन्द है तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है।

स्पष्टीकरण– न्यायालय उस दिन इस धारा के अर्थान्तर्गत बन्द समझा जाएगा जिस दिन अपने सामान्य काम के घंटों में वह बन्द रहता है।

472–चालू रहने वाला अपराध – किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा–काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारम्भ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है।

473 –कुछ दशाओं में परिसीमा–काल का विस्तारण – इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा–काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अध्याय–37
(प्रकीर्ण)

482–उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति – इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी। जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

प्रथम अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

स्पष्टीकरण नोट : (1) भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, जिसका संख्याक प्रथम सतम्भ में दिया हुआ है, द्वितीय और तृतीय सतम्भों की प्रविष्टियां भारतीय दंड संहिता की अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दंड के रूप में आशयित नही हैं, वरन् उस धारा का सारांश बताने के लिए आशयित हैं।

(2) इस अनुसूची में (i) ''प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट '' और ''कोइ मजिस्ट्रेट '' पदों के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी हैं, किन्तु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है; (ii) ''संज्ञेय'' शब्द ''कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा'' के लिए है; और (iii) ''असंज्ञेय'' शब्द ''कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा'' के लिए है।

I. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
अध्याय :– 05 दुष्प्रेरण					
109	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहाँ उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।	वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचाराणीय है।
110	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
111	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, परन्तुक के	वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	अधीन रहते हुए।	के लिए है।			
113.	किसी अपराध का दुष्प्रेरण,जब दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हैं।	वही दण्ड जो किये गये अपराध के लिए है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
114.	किसी अपराध का दुष्प्रेरण,यदि दुष्प्रेरक अपराध किये जाते समय उपस्थित है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
115.	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय।	अजमानतीय	उस न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचाराणीय है।
	यदि अपहानि करने वाला कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है।	चौदह वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
116.	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता है।	उस दीर्घतम अवधि के एक –चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	यथोक्त
	यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है।	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
117.	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का	तीन वर्ष के लिए कारावास, या	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	दुष्प्रेरण।	जुर्माना, या दोनों।			
118.	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना ,यदि अपराध कर दिया जाता है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	यदि अपराध नहीं किया जाता है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
119.	किसी ऐसे अपराध के किये जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया जाता है।	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	यथोक्त
	यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है।	दस वर्ष के लिए कारावास।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	अजमानतीय	उस न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचाराणीय है।
	यदि अपराध नहीं किया जाता है।	उस दीर्घतम अवधि के एक–चौथाई भाग तक का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
120.	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर	यथोक्त	यथोक्त	इसके अनुसार कि	यथोक्त

	दिया जाता है।			दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	
	यदि अपराध नहीं किया जाता है।	उस दीर्घतम अवधि के आठवें भाग का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
अध्यायः– 5 क – आपराधिक षड्यंत्र					
120 ख	मृत्यु या आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र।	वही, जो उस अपराध के, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है , दुष्प्रेरण के लिए है।	इसके अनुसार कि अपराध, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय।	इसके अनुसार कि अपराध, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, जमानतीय है या अजमानतीय ।	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है,विचाराधीन है।
	कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र।	छः मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय।	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
अध्याय 6– राज्य के विरूद्ध अपराध					
121	भारत सरकार के विरूद्व युद्व करना या युद्व करने का प्रत्यन करना, या युद्व करने का दुष्प्रेरण करना।	मृत्यु या आजीवन कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना।			
121 क	राज्य के विरूद्व कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
122	भारत सरकार के विरूद्व युद्व करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
123	युद्व करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
124 क	राजद्रोह	आजीवन कारावास और जुर्माना , या तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
125	भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली या उससे शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरूद्व युद्व करना या ऐसे युद्व करने का दुष्प्रेरण।	आजीवन कारावास और जुर्माना , या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

		जुर्माना			
126	भारत सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध रखने वाली या उससे शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य –क्षेत्र में लूटपाट करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कुछ सम्पति का समपहरण।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
127	धारा 125 और 126 में वर्णित युद्व या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पति प्राप्त करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
128	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्व कैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
129	उपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या युद्व कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।	तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
130	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुडाना या संश्रय देना या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
अध्याय 7– सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराध					
131		आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

132	विद्रोह का दुष्प्रेरण , यदि उसके परिणाम–स्वरूप विद्रोह किया जाए।	मृत्यु , या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
133	ऑफिसर, सैनिक , नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जब वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
135	ऑफिसर, सैनिक , नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
136	ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को, जिसने अभित्यजन किया है, संश्रय देना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
137	मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभिज्याजक।	पांच सौ रूपये का जुर्माना।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
138	ऑफिसर, सैनिक , नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाता है।	छः मास के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
140	इस आशय से सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या कोई टोकन धारण करना कि यह विश्वास किया जाए कि वह	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रूपये	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है।	का जुर्माना, या दोनों।			
अध्याय 8 – लोक प्रशान्ति के विरूद्व अपराध					
143	विधिविरूद्व जमाव का सदस्य होना ।	छः मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
144	किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरूद्व जमाव में सम्मिलित होना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना , या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
145	किसी विधिविरूद्व जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
147	बल्वा करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
149	यदि विधिविरूद्व जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा।	वही जो उस अपराध के लिए है।	इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या	इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय

			असंज्ञेय।	।	है।
150	विधिविरूद्व जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना।	वही जो ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी अपराध के लिए है।	संज्ञेय	इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है।
151	पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिये जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना।	छः माह के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
152	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
153	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाता है	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि बल्वा नहीं किया जाता है।	छः मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
153 क	वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन।	तीन वर्ष के	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग

		लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।			मजिस्ट्रेट
	पूजा के स्थान आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
153कक	किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने, या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षणों का आयुधों सहित संचालन, आयोजन करना या उसमें भाग लेनां	6 मास के लिए कारावास और 2000 रूपये का जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
153 ख	राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथ ोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
154	बल्वे आदि की इतिला का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना।	एक हजार रूपये का जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
155	जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बल्वा होता है उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना।	जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
156	जिस स्वामी या अधियोगी के फायदे के लिए बल्वा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसको निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

157	विधिविरूद्व जमाव के लिए भाडे पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना।	छः मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
158	विधिविरूद्व जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	या सशस्त्र चलाना।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
160	दंगा करना।	एक मास के लिए कारावास, या सौ रूपये का जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
अध्याय 9– लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध					
161	लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए और पदीय कार्य के बारे में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेना।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
162	लोक सेवक पर भष्ट्र या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
163	लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के	एक वर्ष के लिए सादा	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	लिए परितोषण लेना।	कारावास, या जुर्माना, या दोनो।			
164	अन्तिम दो पूर्वगामी धाराओं में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने बारे में दुष्प्रेरण।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
165	लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्य से सम्पृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना कोई मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करना है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
165 क	धारा 161 या धारा 165 के अधीन दण्डनीय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
166	लोक सेवक , जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
166 क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है।	कम से कम छः मास के लिए कारावास,जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
166 ख	अस्पताल द्वारा पीडित का उपचार न किया जाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

167	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
168	लोक सेवक, जो विधिविरूद्ध रूप से व्यापार में लगता है।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
169	लोक सेवक, जो विधिविरूद्ध रूप से सम्पति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनो और यदि संपति क्रय कर ली गई है तो उसका अधिहरण।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
170	लोक सेवक का प्रतिरूपण।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
171	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।	तीन मास के लिए कारावास, या दो सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 9 क– निर्वाचन सम्बन्धी अपराध					

171 ड.	रिश्वत	एक वर्ष के लिए कारावास,या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ली गई है तो केवल जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
171 च.	निर्वाचन में असम्यक् असर डालना।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	निर्वाचन में प्रतिरूपण	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
171 छः	निर्वाचन के सिलसिले मे मिथ्या कथन।	जुर्माना।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
171ज.	निर्वाचन के सिलसिले मे अवैध संदाय।	पांच सौ रूपये का जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
171 झ.	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 10 – लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान

172	लोक सेवक द्वारा निकाले गऐ समन की तामील से या की गई अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करती है।	छः मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
173	किसी समन या सूचना की तामील या लगाया जाना निवारित करना या उसके लगाए जाने के पश्चात उसे हटाना या उद्घोषणा को निवारित करना।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि समन आदि न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करते हैं।	छः मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
174	किसी स्थान में स्वंय या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने का वैध आदेश न मानना या वहॉ से चला जाना।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करता है।	छः मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रूपये का जुर्माना, या	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

		दोनों।			
174 क	इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर न होना।	3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना सहित , या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	ऐसे किसी मामले में जहॉ इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी घोषणा की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
175	दस्तावेज पेश करने या पारित करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी दस्तावेज पेश करने का साशय लोप।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनें।	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 26 के उप–बन्धों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया हैः या यदि अपराध न्यायालय में नही किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।
	यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में पेश किया जाना या परिदत किया जाना अपेक्षित है।	छः मास के लिए सादा कारावास,या एक हजार रूपये का	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 26 के उप–बन्धों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया

		जुर्माना, या दोनों।			है; या यदि अपराध न्यायालय में नही किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।
176	सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनें।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट।
	यदि अपेक्षित सूचना या इत्तिला अपराध किये जाने आदि के विषय में है।	छः मास के लिए सादा कारावास,या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 356 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा अपेक्षित है।	छः मास के लिए कारावास,या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट।
177	लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या इत्तिला देना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि अपेक्षित इतिला अपराध किये जाने आदि के विषय में हो।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

178	शपथ से इन्कार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाता है।	छः मास के लिए सादा कारावास,या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	अध्याय 26 के उप–बन्धों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नही किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।
179	सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए प्रश्नों का उतर देने से इन्कार करना।	छः मास के लिए सादा कारावास,या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	अध्याय 26 के उप–बन्धों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नही किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।
180	लोक सेवक से किये गये कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना जब वह वैसा करने के लिए वैध रूप से अपेक्षित है।	तीन मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनें।	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 26 के उप–बन्धों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नही किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।
181	लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

182	किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के लिए करे।	छः मास के लिए कारावास,या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट।
183	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
184	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना।	एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
185	विधिपूर्वक प्राधिकृत विक्रय में संपत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, बोली लगाना या उपगत बाध्यताओं को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाना।	एक मास के लिए कारावास, या दो सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
186	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।	एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

187	लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।	एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रूपये का जुर्माना, या दोनो।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	ऐसे लोक सेवक की, जो ओदशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझ कर उपेक्षा करना।	छः मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
188	लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा,क्षोभ या क्षति कारित करे।	एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रूपये का जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम आदि को संकट कारित करें।	छः मास के लिए कारावास, या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
189	किसी पदीय कृत्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए लोक सेवक को उत्प्रेरित करने के लिए लोक सेवक या उसको जिसमें वह हितबद्व है क्षति करने की धमकी	दो वर्ष के लिए कारावस , या जुर्माना, या दोनो।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

	देना।				
190	क्षति के संरक्षण के लिए वैध आवेदन देने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए उसे धमकी देना।	एक वर्ष के लिए कारावास,या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
अध्याय 11—मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरूद्व अपराध					
193	न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
194	किसी व्यक्ति को मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा दोषसिद्व किया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है।	मृत्यु या यथा उपर्युक्त।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

195	आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	वही जो उस अपराध के लिए है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
195 क	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का विचारण किया जाता है।
	यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्व किया जाता है और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है।	वही जो अपराध के लिए है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
196	उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना ज्ञात हैं।	वही जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने या देने के लिए है।	असंज्ञेय	इसके अनुसार कि ऐसा साक्ष्य देने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध विचारणीय है
197	किसी ऐसे तथ्य से सम्बन्धित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हैं।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है।

198	प्रमाणपत्र को जिसका तात्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
199	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
200	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना।	वही जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
201	किये गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत साक्ष्य का विलोपन हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय।	यथोक्त	सेशन न्यायालय
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है।	उस दीर्घतम अवधि की एक–चौथाई का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना,	असंज्ञेय	जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है।

		या दोनों।			
202	इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्व व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
203	किये गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
204	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको छिपाना या नष्ट करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
205	वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए छद्म प्रतिरूपण।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
206	सम्पति को समपहरण के रू॰ में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में अभिगृहित किये जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि।	दो वर्ष के लिए कारावास , या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

207	संपत्ति को समपहरण के रूप में या दण्डादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन के लिए जाने से निवारित करने के लिए उस पर अधिकार के बिना दावा करना या उस पर किसी अधिकार के बारे में प्रवंचना करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
208	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात निष्पादित किया जाना सहन करना।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
209	न्यायालय में मिथ्या दावा।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
210	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिये जाने के पश्चात निष्पादित करवाना।	दो वर्ष के लिए कारावास , या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
211	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	अंसज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	यदि आरोपित अपराध सात वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आरोपित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
212	अपराधी को संश्रय देना,यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास सें दण्डनीय है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि एक वर्ष के लिए न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दण्डनीय है।	उस दीर्घतम अवधि की एक– चौथाई का और उस भॉति का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंन्धित है या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
213	अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए	तीन वर्ष के लिए कारावास	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	कारावास से दण्डनीय है।	और जुर्माना।			
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है।	उस दीर्घतम अवधि की एक– चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंन्धित है या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है।	उस दीर्घतम अवधि की एक– चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंन्धित है या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
215	अपराधी को पकड़वाए बिना उस जंगम संपत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

	उपहार लेना जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया हैं।	दोनों।			
216	ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।	जुर्माना सहित या रहित तीन वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दण्डनीय है।	उस दीर्घतम अवधि की एक– चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंन्धित है या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
216 क	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

	आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा ।				
218	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्व अभिलेख या लेख की रचना।	तीन वर्ष के के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
219	न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट अधिमत या विनिश्चय भष्टतापूर्वक दिया जाना और सुनाया जाना जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है।	सात वर्ष के कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
221	अपराधी को पकड़ने के लिए विधी द्वारा आबद्व लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप,यदि अपराधी मृत्यु से दण्डनीय है।	जुर्माना सहित या रहित सात वर्ष के लिए कारावास।	इसके अनुसार ऐसा अपराध जिसकी बाबत लोप हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय।	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए	जुर्माना सहित या रहित तीन	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	कारावास से दण्डनीय है	वर्ष के लिए कारावास।			
	यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है।	जुर्माना सहित या रहित दो वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
222	न्यायालय के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्व लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दण्डादेश के अधीन है।	जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या चौदह वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दण्डादेश के अधीन है।	जुर्माना सहित या रहित सात वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है।	तीन वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
223	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से निकल भागना सहन करना।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
224	किसी व्यकित द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

225	किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्वक अभिरक्षा से उसे छुडाना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध से आरोपित हो।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध से आरोपित है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि मृत्यु दण्डादेश के अधीन है।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
225 क	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक का पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना— (क) जब लोप या सहन करना साशय है,	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वक है।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
225 ख	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नही है, विधिपूर्वक पकड़नें में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना।	छः मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
227	दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।	मूल दण्डादेश का दण्ड, या यदि दण्ड का भाग भोग लिया गया है ता अवशिष्ट भाग।	यथोक्त	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था
228	न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।	छः मास के लिए सादा करावास, या एक हजार रूपये का जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है।
228क	कुछ अपराधों आदि से पीडित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
	न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

229	जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
229क	जमानत या बंधपत्र पर छोडे गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 12–सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध					
231	सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
232	भारतीय सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
233	सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
234	भारतीय सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
235	सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाने के प्रयोजन से उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	यदि वह सिक्का भारतीयसिक्का है।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण।	वही दंड जो भारत में ऐसे सिक्के के कूटकरण के दुष्प्रेरण के लिए उपबंधित है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
237	कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, आयात या निर्यात।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, आयात या निर्यात।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
239	किसी कूटकृत सिक्के को, जिसका ऐसा होना वह तब जानता था जब वह उसके कब्जे में आया, रखना और किसी व्यक्ति को उसका परिदान आदि करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
240	भारतीय सिक्के के बारे में वही अपराध	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
241	किसी कूटकृत सिक्के का असली सिक्के के रूप में जानते हुए दूसरे को परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में	दो वर्ष के लिए कारावास या कूटकृत सिक्के के मूल्य का दस गुना	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

	पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था।	जुर्माना, या दोनों			
242	कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
243	भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
244	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
245	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरूद्व रूप से लेना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
246	कपटपूर्वक किसी सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
247	कपटपूर्वक भारतीय सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
248	इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाये	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

249	इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाये	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
250	दूसरे को ऐसे सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
251	भारतीय सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित सिक्के, पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के, पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
254	दूसरे सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था उसका परिवर्तित होना नहीं जानता था।	दो वर्ष के लिए कारावास या सिक्के के मूल्य का दस गुना जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

256	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना या खरीदना या बेचना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय।	यथोक्त	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
259	कूटकृत सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
260	किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
261	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
262	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले से उपयोग हो चुका है।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

263	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिह्न को छीलकर मिटाना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
263क	बनावटी स्टाम्प	दो सौ रूपये का जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 13 – बाटों और मापों से संबंधित अपराध					
264	तौलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानती	कोई मजिस्ट्रेट
265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
266	खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
267	खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए बनाना या बेचना	यथोक्त	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
अध्याय 14 – लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध					
269	उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
270	परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

271	किसी करन्तीन के नियम को जानते हुए अवज्ञा।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
272	विक्रय के लिए आशयित खाघ या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिसमें वह अपायकर बन जाए।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपए जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
273	खाघ और पेय के रूप में किसी खाघ और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
274	विक्रय के लिए आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मित का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
275	किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
276	किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के रूप में, जानते हुए बेचना या औषधालय से देना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

277	लोक जल–स्त्रोत या जलाशय को जल कलुषित करना।	तीन मास के लिए कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
278	वायुमंडल को स्वास्थय के लिए अपायकर बनाना।	पांच सौ रूपये का जुर्माना	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
279	लोकमार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
280	किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
281	भ्रामक प्रकाश चिह्न या बोये का प्रर्दशन	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
282	जल द्वारा किसी व्यक्ति का भाडे पर प्रवहण जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो कि उससे उस व्याक्ति का जीवन संकटापन्न हो जाए।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

283	किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन–पथ में संकट, बाधा या क्षति कारित करना।	दो सौ रूपये का जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
284	किसी विषैले पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
285	अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
286	किसी विस्फोटक पदार्थ से उसी प्रकार बरतना।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
287	किसी मशीनरी से उसी प्रकार बरतना	यथोक्त	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
288	जिस निर्माण को गिराने या जिसकी मरम्मत का हक प्रदान करने वाला किसी व्यक्ति को अधिकार है उसके गिरने से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का उस व्याक्ति द्वारा लोप।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

289	अपने कब्जे में किसी जीव जन्तु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का किसी व्यक्ति द्वारा लोप जिससे ऐसे जीवजन्तु से मानव जीवन को संकट या घोर उपहति के संकट से बचाव हो।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
290	लोक न्यूसेंस करना।	दो सौ रूपये का जुर्माना	अंसज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
291	न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना।	छह मास के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
292	अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि	प्रथम दोषसिद्वि पर दो वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्वी पर पांच वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रूपये का जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
293	तरूण व्यक्तियों को अश्लील पुस्तकों का विक्रय	प्रथम दोषसिद्वि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और दो हजार	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

		रूपये का जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धी पर सात वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रूपये का जुर्माना।			
294	अश्लील गाने।	तीन मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
294क	लाटरी कार्यालय रखना	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन	एक हजार रूपए का जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 15 – धर्म से संबंधित अपराध					
295	व्यक्तियों के किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान अथवा किसी पवित्र वस्तु को नष्ट , नुकसान–ग्रस्त या अपवित्र करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
295क	किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का विद्वेषतः अपमान।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		दोनों।			
296	धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
297	किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रस्तान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उनकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करना या कोई ध्वनि करना अथवा उनकी दृष्टिगोचरता में कोई अंग–विक्षेप करना या कोई वस्तु रखना	यथोक्त	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
अध्याय 16 – मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध					
302	हत्या	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

303	आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या	मृत्यु	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
304	हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानववध, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु आदि कारित करने के आशय से किया जाता है।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु आदि कारित करने के आशय के बिना, किया जाता है।	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
304क	उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
304ख	दहेज मृत्यु	कम से कम सात वर्ष के कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
305	शिशु या उन्मत्त या विपर्यस्तचित व्यक्ति या जड व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेश्रण ।	मृत्यु या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

306	आत्महत्या किये जाने का दुष्प्रेरण	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
307	हत्या करने का प्रयत्न। यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए।	मृत्यु या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	आजीवन सिद्वदोष द्वारा हत्या का प्रयत्न, यदि उपहति कारित हो जाए।	मृत्यु या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
308	आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
311	ठग होना।	आजीवन कारावास और जुर्माना	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

312	गर्भपात कारित करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि स्त्री स्पन्दनगर्भा हो।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
313	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
314	गर्भपात कारित कारने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाता है।	आजीवन कारावास या यथा उपर्युक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
315	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आाशय से किया गया कार्य	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
316	ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी अजीव अजात् शिशु की मृत्यु कारित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

317	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से अरक्षित डाल देना।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
323	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

326क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	कम से कम दस वर्ष तक का कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीडित को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।	पांच वर्ष तक का कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
327	संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
328	उपहति कारित करने के आशय से जरिमाकारी औषधि देना, आदिं	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

329	संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
330	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा संपत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना आदिं	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा संपत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
333	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

334	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना।	एक मास के लिए कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
335	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर घोर उपहति कारित करना।	चार वर्ष के लिए कारावास या दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
336	कोई कार्य करना जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।	तीन मास के लिए कारावास या ढाई सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
337	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि।	छह मास के लिए कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि।	दो वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
341	किसी व्याक्ति का सदोष अवरोध करना।	एक मास के लिए सादा कारावास या पांच सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

342	किसी व्याक्ति का सदोष परिरोध	एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
345	किसी व्यक्ति को यह जानते हए सदोष परिरोध में रखना कि उसको छोडने के लिए रिट निकल चुका है।	किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध	किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
347	संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

348	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा संपत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	तीन मास के लिए कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
353	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	एक वर्ष के लिए कारावास जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
354क	अवांछनीय शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति की मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन।	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
	लैंगिक आभासी टिप्पणीयां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
354ग	दृश्यरतिकता	प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
354घ	पीछा करना।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त

		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
355	गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय के उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
356	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
357	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
358	गंभीर या अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	एक मास के लिए सादा कारावास या दो सौ रूपये जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

363	व्यपहरण	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
363क	अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण या अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	अप्राप्तवय को इसलिए विकलांग करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।	आजीवन कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
364क	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण ।	मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

366	किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने या भ्रष्ट करने आदि के लिए उसे व्यपहृत या अपहृत करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
366क	अप्राप्तवय लडकी का उपापन।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
366ख	विदेश से लडकी का आयात करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
367	किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
368	व्यपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना।	व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड।	यथोक्त	यथोक्त	वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है।
369	किसी शिशु के शरीर पर से संपत्ति लेने के आशय से उस शिशु पर व्यपहरण या अपहरण।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
370	व्यक्ति का दुर्व्यापार।	कम से कम सात वर्ष का कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार।	कम से कम दस वर्ष का कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार।	कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाना।	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

370क	ऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम पांच वर्ष का कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम तीन वर्ष का कारावास किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
371	दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।	आजीवन कारावास , या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
372	वेश्यावृति, आदि क प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना या भाडे पर देना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
373	उन्हीं प्रयोजनो के लिए अप्राप्तवय को खरीदना या उसका कब्जा अभिप्राप्त करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
374	विधिविरूद्व अनिवार्य श्रम	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

376	बलात्संग।	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृ	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	तशील दशा हो जाती है	का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड।			
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।	कम से कम दो वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय (किन्तु केवल पीडिता के द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	यथोक्त
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।	कम से कम दो वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
376घ	सामूहिक बलात्संग।	कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा,	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।			
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
377	प्रकृति विरूद्व अपराध	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अध्याय 17 – सम्पति के विरूद्व अपराध					
379	चोरी।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
380	निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
381	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की चोरी।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

382	चोरी करने के लिए या उसके करने के पश्चात निकल भागने के लिए या उसके द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए मृत्यु य उपहति कारित करने या अवरोध कारित करने अथवा मृत्यु या उपहति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी के पश्चात, चोरी।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
384	उद्दापन।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
385	उद्दापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
387	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
388	मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

	यदि वह अपराध, जिसकी धमकी दी गई हो, प्रकृति विरूद्व अपराध हो।	आजीवन कारावास	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
389	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि अपराध प्रकृति विरूद्व अपराध है।	आजीवन कारावास	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
392	लूट।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	यदि राजमार्ग पर सुर्योदय व सुर्यास्त के बीच की जाती है।	चौदह वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
393	लूट करने का प्रयत्न।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
394	लूट करने में या करने के प्रयत्न में व्यक्ति का या ऐसी लूट में संयुक्त तौर से सम्पृक्त किसी अन्य व्यक्ति का स्वेच्छया उपहति करना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

395	डकैती	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
396	डकैती में हत्या	मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
397	मृत्यु, या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।	सात वर्ष से कम न होने वाला कठिन कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
398	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
400	अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
401	अभ्यासतः चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती–फिरती टोली का होना।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		जुर्माना।			
402	डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों मे से एक होना।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
403	जंगम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
404	किसी संपत्ति का यह जानते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग कि वह मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी और तब से वह उसके वैध रूप से हकदार व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
405	यदि वह अपराध मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक या व्यक्ति द्वारा किया जाता है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
406	आपराधिक न्यासभंग	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त

407	वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
408	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
409	लोकसेवक या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
411	चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
412	चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, अभिप्राप्त करना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
413	चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
414	चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

	करना।				
417	छल।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
418	उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्व था।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
419	प्रतिरूपण द्वारा छल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
420	छल करना और तद्वारा संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना अथवा तद्वारा बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रच देना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
421	लेनदारो मे वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति को कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, आदि।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
422	अपराधी का अपने को शोध्य ऋण या मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना कपटपूर्वक निवारित करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

423	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
424	अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना अथवा उसके करने में सहायता करना अथवा जिस मांग या दावे का वह हकदार है उसे बेईमानी से छोड देना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
426	रिष्टि।	तीन मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
427	रिष्टि और तद्वारा पचास रूपय या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
428	दस रूपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव–जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरूपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
429	किसी मूल्य के हाथी, ऊंट, घोडे आदि को अथवा पचास रूपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव–जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरूपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि।	पांच वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

430	कृषिक प्रयोजनो आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
431	लोक सडक, पुल, नाव्य नदी अथवा नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि।	पांच वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
432	लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
433	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने अथवा किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
435	सौ रूपए या उससे अधिक का, अथवा कृषि उपज की दशाा में दस रूपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

436	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
437	तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
438	पिछली धारा में वर्णित रिष्टि जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई हो।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
439	चोरी आदि करने के आशय से जलयान किनारे पर चढा देना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
440	मृत्यु या उपहति कारित करने, आदि के लिए की गई तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
447	आपराधिक अतिचार।	तीन मास के लिए कारावास या पांच सौ जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
448	गृह अतिचार।	एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपए जुर्माना	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

		या दोनों।			
449	मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
450	आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
451	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
452	उपहति कारित करने, हमला करने , आदि की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
453	प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह–भेदन।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

454	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह–भेदन।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह अपराध चोरी है।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
455	उपहति कारित करने, हमला करने , आदि की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह–भेदन।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
456	रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह–भेदन।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
457	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह–भेदन।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है।	चौदह वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
458	उपहति कारित करने, आदि की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह–भेदन।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
459	प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह–भेदन करते समय कारित घोर उपहति।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

		और जुर्माना।			
460	रात्रौ गृह–भेदन, आदि में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्तियों में से एक द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
461	ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड कर खोलना या उपबंधित करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
462	ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किये जाने पर कपटपूर्वक खोलना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
अध्याय 18 – दस्तावेजों और सम्पति चिह्नों संबंधी अपराध					
465	कूटरचना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
466	न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के रजिस्टर आदि की, जो लोकसेवक द्वारा रखा जाता है, कूटरचना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
467	मूल्यवान प्रतिभूति विल या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण के प्राधिकार, अथवा किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	कूटरचना।				
	जब मूल्यवान प्रतिभूति केन्द्र सरकार का वचनपत्र है।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
468	छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
469	किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से यह सभांव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जायेगा,की गई कूटरचना।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
471	कूटरचित दस्तावेज को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह कूटरचित है, असली के रूप में उपयोग में लाना।	ऐसी दस्तावेज की कूटरचना के लिए दंड	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	जब कूटरचित दस्तावेज केन्द्र सरकार का वचनपत्र है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
472	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।				
473	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
474	किसी दस्तावेज को, उसे कूट–रचित जानते हुए इस आशय से कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जाए अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति की हो।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित भांति की हो।	आजीवन कारावास, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
475	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

	रखना।				
476	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 मे वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
477	विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करना, या छिपाना	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
477क	लेखा का मिथ्याकरण।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
482	मिथ्या संपत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे।	एक वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिह्न का या किसी संपत्ति के विनिर्माण , क्वालिटी आदि का घोतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
485	किसी लोक या प्राइवेट संपत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
486	कूटकृत संपत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
487	किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

489	क्षति कारित करने के आशय से किसी संपत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
489क	करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
489ख	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
489ग	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
489घ	करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए, कारावास और जुर्माना।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
489ङ	करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग	एक सौ रूपए का जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
490	मुद्रक का नाम और पता बताने से इन्कार पर।	दो सौ रूपये का जुर्माना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 19 – सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग					
491	किशोरावस्था या चित्त विकृति या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की उसकी आवश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए आबद्ध होते हुए उसे करने का स्वेच्छया लोप।	तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 20 – विवाह संबंधी अपराध					
493	पुरूष द्वारा स्त्री को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
494	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
495	यही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
496	कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने के कर्म को यह जानते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

497	जारकर्म ।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
498	विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरूद्व रखना।	दो वर्ष के लिए कारावास,या जुर्माना,या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 20 क – पति या पति के नातेदारों द्वारा कूरता के विषय में।					
498 क	किसी विवाहित स्त्री के प्रति कूरता करने के लिए दण्ड।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय, यदि अपराध किये जाने से सम्बन्धित इतिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण द्वारा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा जो राज्य	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

			सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, दी गई है।		
अध्याय 21– मान–हानि					
500	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूद्व मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास,या जुर्माना, या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी अन्य मामले में मानहानि।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
501	(क) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संध राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूद्व मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
	(ख) किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास,या जुर्माना,या	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		दोनों।			
502	(क) मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए विक्रय कि उनमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूद्व उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
	(ख) किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमे ऐसा विषय अंतर्विष्ट है।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अध्याय 22 – आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ					
504	लोक–शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान।	दो वर्ष के लिए कारावास , या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
505	मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक–शांति के विरूद्व अपराध हो।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना,या दोनों।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि, इस आशय से कि विभिन्न विर्गों के बीच	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

	शत्रुता , घृणा या वैमनस्य पैदा हो।				
	पूजा के स्थान आदि में किया गया मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो।	पांच वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
506	आपराधिक अभित्रास	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
	यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

MODULE-D

(Criminal Law Amendment Act 2013)

संशोधन 2013

अध्याय 3
प्रारंभिक

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

धारा 26 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 का धारा 26 के खंड (क) के परंतुक में ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 54क का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54क में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात, ''परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों,

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।''।

धारा 154 का संशोधन :–दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात,

''परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा326ख, धारा354, धारा354क, धारा354ख, धारा354ग, धारा354घ, धारा376, धारा376क, धारा376ख,

धारा376ग, धारा376घ, धारा376ङ या धारा509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगीः

परन्तु यह और कि –

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा354क, धारा354ख, धारा354ग, धारा354घ, धारा376, धारा376क, धारा376ख, धारा376ग, धारा376घ, धारा376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास–स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।''।

धारा 160 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक में, ''जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से ''शब्दों के स्थान पर, ''जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 161 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''परन्तु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।''।

धारा 164 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

''(5क) (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा354क, धारा354ख, धारा354ग, धारा354घ, धारा376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा376क, धारा376ख, धारा376ग, धारा376घ, धारा376ङ या धारा509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा :

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगाः

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 में यथा 1872 का 1 विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।''।

धारा 173 का संशोधन :—दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के खंड (ए) के उपखंड (ज) में ''धारा 376ग या धारा376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 376ग, धारा376घ या धारा 376ङ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 197 का संशोधन :— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण** — शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा166क, धारा166ख, धारा354, धारा354क, धारा354ख, धारा354ग, धारा354घ, धारा370, धारा375, धारा376, धारा 376क, धारा376ग, धारा376घ या धारा509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।''।

नई धारा 198ख का अन्तःस्थापन :— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

''198ख. अपराध का संज्ञान — कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का, जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध गठित होता है, प्रथमदृष्ट्या समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा।''।

धारा 273 का संशोधन :— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात :—

''परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा।''।

धारा 309 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :–

''(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे :

परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा376क, धारा376ख, धारा376ग या धारा376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, यथासंभव आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।''।

धारा 327 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में, ''धारा 376ग या धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376ग, 376घ या धारा 376ङ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 357ख और धारा 357ग का अंतःस्थापन :–दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :–

''**357ख.** प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा326क या धारा 357क या धारा 376घ के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होना – धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा।

357ग. पीड़ितों का उपचार – सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा326क, धारा 376, धारा376क, धारा376ख, धारा376ग, धारा376घ या धारा376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे।''।

प्रथम अनुसूची का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, ''1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध'' शीर्ष के अधीन,–

166क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है।	कम से कम छह मास के लिए कारवास जो दो वर्ष तक को हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
166ख	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
धारा 326 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी,अर्थात :–					

			4		
326क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
326ख	स्वेछया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयल करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

354 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354क	अवांछनीय शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति की कोई मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न।	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
	लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न।	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
1	2	3	4	5	6
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।

		जुर्माना।			
354ग	दृश्यरतिकता।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354घ	पीछा करना।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।

(घ) धारा 370 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

1	2	3	4	5	6
''370 1	व्यक्ति का दुर्व्यापार।	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	एक से अधिक	कम से कम दस वर्ष	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन

	व्यक्तियों का दुर्व्यापार।	के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना!			न्यायालय ।
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार।	कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
370क	ऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका	कम से कम पांच वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।

	दुर्व्यापार किया गया है।	जुर्माना।			
	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।

(ङ) धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग और धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः–

1	2	3	4	5	6
''376	बलात्संग।	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवकया सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिद्वंद में के किसी व्यक्ति	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।

	द्वारा बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।				
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृ तशील दशा हो जाती है	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।	कम से कम दो वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय (किन्तु केवल पीडिता के द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति	कम से कम दो वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो दस	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	द्वारा मैथुन।	वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।			।
376घ	सामूहिक बलात्संग।	कम से कम बीस संज्ञेय वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
(च) धारा 509 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ 3 में, ''एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना या दोनों'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना'' शब्द रखे जाएंगे।					

(Criminal Law Amendment Act 2018)

संशोधन 2018

- **धारा 26 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खंड (क) के परंतुक में ''धारा376क, धारा376ख, धारा 376ग, धारा 376घ '' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा376क, धारा376ख, धारा 376ग, धारा376घ, 376घक, धारा376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 154 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में,–

(i) पहले परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों , अंको और अक्षरों के स्थान पर धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii) दुसरे परंतुक के खंड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों , अंको और अक्षरों के स्थान पर धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

- **धारा 161 का संशोधन** :– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ '' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 164 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ '' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 173 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में,–

(i) उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, या धारा 376ड के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने क भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii)उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (ज) में, धारा ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों , अंको और अक्षरों के स्थान पर धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

- **धारा 197 का संशोधन :–** दंड संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ '' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 309 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के परंतुक में ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है,तब जांच या विारण सथासंभव'' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण '' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

- **धारा 327 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में '''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों , अंको और अक्षरों के स्थान पर धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 357ख का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख में '' भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ'' शब्दों , अंको और अक्षरों के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 357ग का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ '' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- **धारा 374 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

  ''(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, या धारा 376घख या धारा 376ड के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरूद्व अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किये जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- **धारा 377 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

  ''(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, या धारा 376घख या धारा 376ड के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरूद्व अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किये जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- **धारा 438 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

  ''(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख, या धारा 376घक, और धारा 376घख के अधीन अपराध किये जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफतारी की दशा में लागू नहीं होगी।''
- **धारा 439 का संशोधन :–** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 में,–

(क) उपधारा (1) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो भारतीय दंड सहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।''

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात :–

''(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376क या धारा 376घक, धारा 376घख के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी।''

- भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची में, ''1.भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध'' शीर्ष में,–

(क) धारा 376 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या अंसज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
376	बलात्संग	''कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना''	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोकसेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या किसी कारावास, सुधार गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्री या बाल संस्था के प्रबंध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा बलात्संग और बलात्संग पीडित की ओर से भरोसे या प्राधिकार के पद पर किसी व्यक्ति द्वारा या बलात्संग पीडित के किसी निकट नातेदार द्वारा बलात्संग	''कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना''	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	''सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाले व्यक्ति	''कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगी जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना''			

(ख) धारा 376क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6
376कख	''बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाले व्यक्ति	''कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगी जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना''	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

(ग) धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6
धारा 376 घक	''सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामुहिक बलात्संग	''कठिन आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना''	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
धारा 376 घख	''बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामुहिक बलात्संग	''कठिन आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुमाना''	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

प्रश्नोतरी

प्रश्न 1 उदघोषित अपराधी किसे कहते हैं ? अपराधी को एक उद्घोषित अपराधी साबित करने व संपत्ति की कुर्की की संपूर्ण प्रक्रिया धारा सहित समझाइए।

उत्तर – जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया हो फरार हो जाता है जिससे वारंट की तामील नहीं हो पाती है, तब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए समय व स्थान पर 30 दिन के भीतर हाजिर होने के लिए लिखित उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है और यदि ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा प्रकाशित होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात उसे उस घोषित अपराधी भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता में घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया बताई गई है **धारा 82 व 83 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 36–38 को देखें**।

प्रश्न 2 दस्तावेज प्राप्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान हैं ? धारा सहित बताइए।

उत्तर जब कभी किसी न्यायालय या थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए किसी दस्तावेज या वस्तु की आवश्यकता हो तो वह ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी वस्तु या दस्तावेज हो धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक नोटिस जारी करता है यदि ऐसा दस्तावेज किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में हो तो इसकी प्रक्रिया धारा 92 दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है। धारा 91 या 92 के तहत दस्तावेज या वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सके तो धारा 93 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता **है। धारा 91 92 व 93 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 को देखें।**

प्रश्न 3 विधि विरुद्ध जमाव को तितर–बितर करने से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं का विस्तृत वर्णन कीजिए ।

उत्तररू कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो, धारा 129 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल बल के प्रयोग द्वारा तितर–बितर होने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार यदि विधि विरुद्ध जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, तो इसकी प्रक्रिया धारा 130 दंड प्रक्रिया संहिता में बताई गई है। धारा 131 दंड प्रक्रिया संहिता में विधि विरुद्ध जमाव को तितर–बितर करने की शस्त्र बल के अधिकारियों की शक्तियां बताई गई है। **धारा 129, 130 व 131 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52–53 को देखें।**

प्रश्न 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट किसे कहते हैं ? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से संबंधित धाराओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, और जो उसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित पुस्तक में दर्ज की जाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के तहत दर्ज किया जाता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में हुए संशोधन के अनुसार ऐसी महिला जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म से संबंधित धाराओं का अपराध हुआ हो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया जाए तो धारा 154 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से व 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। **धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता में असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला एवं अन्वेषण के बारे में बताया गया है। धारा 154, 155 व 156 के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 64–66 को देखें।**

प्रश्न 5 मर्ग किसे कहते हैं ? मर्ग दर्ज होने पर अनुसंधान की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर जब किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली जाए या कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु द्वारा, यंत्र द्वारा या किसी दुर्घटना द्वारा मारा गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अनुसार पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज किया जाता है उसे मर्ग कहते हैं। धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता में आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच की प्रक्रिया को बताया गया है। धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 78 को देखें।

प्रश्न 6 बंद स्थान की तलाशी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों को समझाइए।

उत्तर बंद स्थान की तलाशी के संबंध में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में दिए गए हैं। धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 42–43 को देखें।

प्रश्न 7 एक ग्राम सेवक को मालूम है कि वह जिस गांव में सेवारत है उसमें एक उदघोषित अपराधी रहता है। क्या उसके द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या थानाधिकारी को उस व्यक्ति के बारे में सूचना देना जरूरी है ? यदि हां तो किस धारा के अंतर्गत ? और यदि नहीं तो क्यों नहीं ? कारण स्पष्ट करें।

उत्तर जी हां, ग्राम सेवक का कर्तव्य है कि वह गांव में रहने वाले उद्घोषक अपराधी के बारे में सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अनुसार ग्राम में नियोजित प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह गांव में निवास करने वाले उद्घोष अपराधी के बारे में जानकारी निकटतम मजिस्ट्रेट या थानाधिकारी को देगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 40 में वर्णित सूचना नहीं देता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अनुसार दंडनीय होगा। **धारा 40 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पोस्ट संख्या 19–20 को देखें।**

प्रश्न 8 एक पुलिस पार्टी को रात में गश्त करते समय एक व्यक्ति मिलता है, जो अपना नाम व पता बताने से इनकार करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है ? यदि हां तो किस धारा के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जाएगा ?

उत्तर यदि गश्त के दौरान पुलिस पार्टी को एक व्यक्ति मिलता है जो अपना नाम व पता बताने से इंकार करता है तब ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा ताकि उसका नाम व पता सुनिश्चित किया जा सके। **धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 23 को देखें।**

प्रश्न 9 क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा या नहीं ? यदि हां तो धारा सहित वर्णन करें।

उत्तर जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उसके द्वारा गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के निष्पादन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो धारा 75 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट के सार की सूचना दिया जाना अनिवार्य है। **धारा 50 एवं 75 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26,35 को देखें।**

प्रश्न 10 दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधी को जमानत पर छोड़ने के संबंध में क्या प्रावधान है ? धारा सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 में यह बताया गया है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। धारा 437 में यह बताया गया है कि जमानतीय अपराध की दशा में जब पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे किन परिस्थितियों में जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। इसी प्रकार धारा 438 में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। **धारा 436, 437 व 438 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 89–92 को देखें।**

प्रश्न 11 रिमांड से आप क्या समझते हैं ? दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधी के रिमांड के बारे में क्या प्रावधान है ?

उत्तर किसी प्रकरण के अनुसंधान में जब अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, तथा मुलजिम से अनुसंधान 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है, तब अनुसंधान अधिकारी अभियुक्त की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए केस डायरी के साथ अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। तब मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा को बढ़ा दिया जाता है जिसे पुलिस रिमांड कहते हैं इसका प्रावधान धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। **धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73–75 को देखें।**

प्रश्न 12 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में एवं पुलिस अभिरक्षा में महिला के साथ बलात्संग के संबंध में की जाने वाली जांच के संबंध में क्या प्रावधान है ? धारा सहित वर्णन कीजिए ।

उत्तर धारा 176 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एवं पुलिस अभिरक्षा में महिला के साथ बलात्कार के मामले में जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। **धारा 176 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 79 को देखें।**

प्रश्न 13 गश्त के दौरान आपको एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिलती है, मालूमात करने पर उसका कोई वारिस नहीं मिलता है। उक्त कार संदिग्ध या किसी अपराध से संबंधित होने की संभावना प्रतीत होने पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में लावारिस कार मिलने पर प्रारंभिक जांच से यदि यह प्रतीत होता है कि कार किसी अपराध से संबंधित हो सकती है अथवा चुराई हुई हो सकती है तो उक्त कार को धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जप्त कर उसकी जांच शुरू की जाएगी तथा इसकी रिपोर्ट अविलंब मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। **धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 43–44 को देखें।**

प्रश्न 14 आपके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक प्लॉट पर कब्जे की बात को लेकर दो पक्षों में तनाव है, तथा खून खराबे की आशंका है। ऐसे में गांव में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आपके द्वारा नियमानुसार क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर थाना क्षेत्र के गांव में प्लॉट पर कब्जे की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति से शांति भंग होने की संभावना होने पर जांच के पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा पेश किया जाएगा तथा विवादित प्लॉट पर कब्जे का निर्धारण करवाया जाएगा अथवा विवादित प्लॉट के कब्जे का

निर्धारण होने तक धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विवादित प्लॉट को कुर्क करवाया जाकर रिसीवर नियुक्त करवाने की कार्यवाही की जाएगी। **धारा 145 व 146 के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58–60 को देखें।**

प्रश्न 15 पुलिस अधिकारी के द्वारा अनुसंधान के दौरान गवाह को थाने पर अनुसंधान हेतु बुलाए जाने के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान है ? क्या किसी महिला, वृद्ध व्यक्ति या बच्चे को भी अनुसंधान के लिए थाने पर बुलाया जा सकता है ?

उत्तर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों के बारे में जानकारी हो अनुसंधान हेतु लिखित आदेश के द्वारा अपने समक्ष बुलाया जा सकता है, किंतु महिला एवं 15 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को तथा मानसिक व शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को अनुसंधान हेतु थाने पर नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उनके निवास स्थान या उनकी सुविधा के हिसाब से किसी अन्य स्थान पर जाकर अनुसंधान किया जाएगा। इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में है। **धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 को देखें।**